प्रेरणा विचार

RNI No. : UPHIN/2023/84344 ₹ : 30/-

मासिक

वैशाख-ज्येष्ठ, विक्रम संवत् 2082 (मई -2025)

पृष्ठ-36, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

वक्फ संशोधन कानून

सामाजिक न्याय की ओर जरूरी कदम

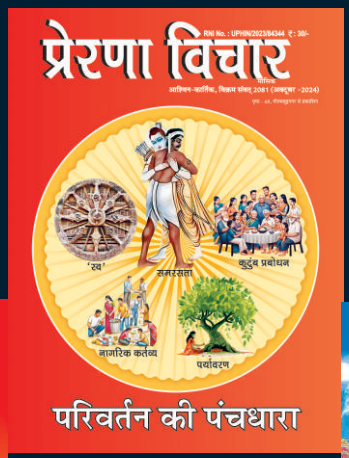

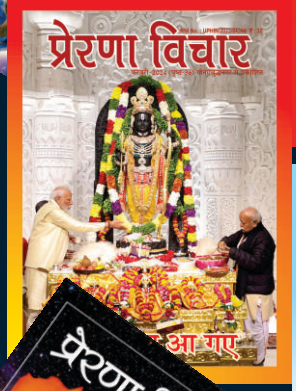

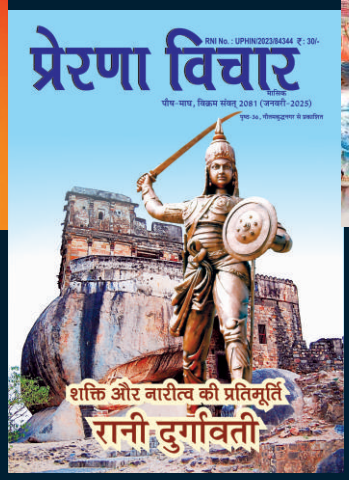

प्रेरणा विचार पत्रिका की सदस्यता लेने के लिए QR CODE स्कैन करें

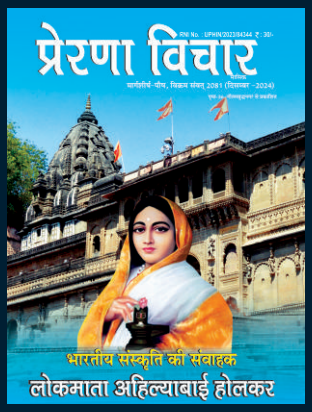

पाठकगण प्रेरणा विचार पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया, 'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से हमारी ई-मेल आईडी (prernavichar@gmail.com) या वाट्सएप नम्बर (9354133754) पर भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

@PRERNAVICHAR

+91 9354133754

प्रेरणा विचार

वर्ष -3, अंक - 05

RNI No. UPHIN/2023/84344

संरक्षक
अनिल त्यागी

प्रबंध निदेशक
बिजेन्द्र कुमार गुप्ता

सलाहकार मंडल
श्याम किशोर, डॉ. अनिल निगम
अशोक सिन्हा

संपादक
डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया

कार्यकारी संपादक
डॉ. प्रियंका सिंह

प्रबन्ध संपादक
मोनिका चौहान

अध्यक्ष प्रीति दादू की ओर से मुद्रक/प्रकाशक डॉ. अनिल त्यागी द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा प्रेरणा भवन, सी-56/20, सेक्टर-62 नोएडा, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
प्रेरणा भवन, सी-56/20, सेक्टर-62,
नोएडा - 201309
दूरभाष : 0120 4565851
मोबाइल : 9354133708,9354133754
ईमेल : prernavichar@gmail.com
वेबसाइट : www.prernasamvad.in

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा नोएडा की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा।

संपादक

इस अंक में

पहलगाम
हिन्दुओं पर आतंक की कुदृष्टि-05

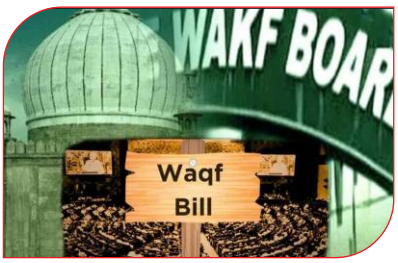

वक्फ संशोधन कानून
सामाजिक न्याय की ओर जरूरी कदम -08

जिहाद के हजार रूप और
उसका समाधान -18

लोकतंत्र की राह पर
अलगाववादी संगठन -24

अब सालार पर बाबा का चाबुक 07

वक्फ को जानें ! न गुमराह हों, न करें!.....10

सामाजिक और लोकतांत्रिक विकास का वाहक मीडिया.....14

बुद्ध पूर्णिमा : करुणा, ज्ञान और शान्ति का पर्व.....16

प्राकृतिक आपदा हो या कारसेवा प्रण-प्राण से जुटे स्वयंसेवक.....20

बीमारू से विकसित राज्य की तरफ बढ़ता उत्तर प्रदेश.....22

भारत को विश्व गुरु बनाने में सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका 26

गर्मियों का प्रकोप, बचाव एवं सतर्कता.....28

मई की गर्मी में उत्सवों की उमंग.....30

हकीकत बनती अंतरिक्ष घुमक्कड़ी.....32

श्रीमद्भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र यूनेस्को के 33

भूले बिसरे नायक.....34

वैचारिक युद्ध और निर्णायक राष्ट्रनीति का सही समय

कश्मीर में हाल ही में घटित पहलगाम का आतंकी हमला एक बार पुनः भारत के भीतर पल रहे कट्टरपंथ और उसके वैचारिक पोषण की भयावह सच्चाई को उजागर करता है। यह घटना न केवल मानवता को कलंकित करती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि भारत अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहाँ केवल पारंपरिक सैन्य प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं रह गई है। इस जघन्य कृत्य में, आतंकियों ने यात्रियों की धार्मिक पहचान के आधार पर हत्या की, जिसमें निर्दोष नागरिक एवं सुरक्षाबलों के अधिकारी भी शामिल थे।

यह हमला विशुद्ध रूप से 'मजहब आधारित लक्षित नरसंहार' का उदाहरण है। आतंकियों ने पीड़ितों से कलमा सुनाने की मांग की, पुरुषों के कपड़े उतरवाकर उनकी धार्मिक पहचान की पुष्टि की और असहायों की निर्ममता से हत्या कर दी। यह भारत जैसे मजहबी विविधता वाले राष्ट्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि अब समय केवल प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक वैचारिक युद्ध की रणनीति गढ़ने का है। इतिहास साक्षी है कि यह पहली बार नहीं है जब हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया हो। चाहे हाल ही में हुई पश्चिम बंगाल की घटना हो, कश्मीर में हुई पहलगाम की या इससे पहले रियासी में शिवखोड़ी के पास नौ श्रद्धालुओं की हत्या और सरकारी विभागों में आतंकी सहानुभूति रखने वालों के निष्कासन जैसे अनेक उदाहरण यह दर्शाते हैं कि आतंकवाद अब सिर्फ सीमा पार से संचालित नहीं हो रहा, बल्कि स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में भी इसकी जड़ें गहरी हैं।

भारत को अब 'आतंकवाद' को केवल सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि एक वैचारिक युद्ध मानते हुए उससे निपटने की दीर्घकालिक नीति बनानी होगी। इसके लिए आवश्यक है वैचारिक उपचार और राजनयिक एवं सामरिक दवाब। जहां एक तरफ मस्जिदों, मदरसों में नफरत के प्रचार पर पूरी निगरानी और नियंत्रण रखा जाए वही पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंक के प्रायोजक राष्ट्र के रूप में पूरी तरह बेनकाब किया जाए।

भारत की निर्णय लेने की शक्ति और क्षमता सशक्त है। बीते वर्षों में भारत ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह अब नरम प्रतिक्रियाओं का युग पीछे छोड़ चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक इसके ठोस उदाहरण हैं, जिनमें भारत ने आतंकी ठिकानों को सीमा पार जाकर नेस्तनाबूद किया। वहीं कूटनीतिक स्तर पर भारत की भूमिका और भी निर्णायक बनी है-चाहे वह Financial Action Task Force (FATF) में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाना हो या संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकियों को सूचीबद्ध करवाना, भारत अब अपनी बात बिना संकोच कहता है। आज का भारत प्रतिशोध नहीं, बल्कि प्रतिरक्षा और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। पहलगाम की त्रासदी हमें यह स्मरण कराती है कि जब तक आतंक की वैचारिक नींव को नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक सैन्य सफलताएं भी क्षणिक सिद्ध होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ केवल सीमापार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि उसकी आतंकी-समर्थक प्रणाली को वैश्विक मंच पर अस्वीकार्य बनाना ही हमारी निर्णायक नीति होनी चाहिए।

भारत को अब स्पष्ट और सख्त संदेश देना होगा- आतंकवाद, चाहे वह विचारधारा से उपजे या बंदूक से, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।यह समय है शून्य सहिष्णुता, राष्ट्र-समर्थ वैचारिक पुनर्रचना और अंतरराष्ट्रीय दबाव की त्रिसूत्रीय नीति के साथ आगे बढ़ने का। यही पहलगाम के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

■

भारत की निर्णय लेने की शक्ति और क्षमता सशक्त है। बीते वर्षों में भारत ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह अब नरम प्रतिक्रियाओं का युग पीछे छोड़ चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक इसके ठोस उदाहरण हैं, जिनमें भारत ने आतंकी ठिकानों को सीमा पार जाकर नेस्तनाबूद किया। वहीं कूटनीतिक स्तर पर भारत की भूमिका और भी निर्णायक बनी है।

पहलगाम
हिन्दुओं पर आतंक की कुदृष्टि

मृत्युंजय दीक्षित
लेखक एवं साहित्यकार

भारत सरकार ने पाकिस्तान को कूटनीतिक दृष्टि से कड़ा संदेश देते हुए 1960 का सिन्धु जल समझौता निलंबित कर दिया है, ज्ञातव्य है कि 1965 और 1971 के युद्ध में भी इसे निलंबित नहीं किया गया था। अटारी बार्डर बंद कर दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करते हुए उनको 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है और भारत अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुला रहा है। दूतावासों के अधिकारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जा रही है।

आज ऐसा प्रतीत होने लगा कि कश्मीर आतंकवाद के साए से निकलकर विकास और शांति के पथ पर आगे बढ़ रहा है तब ही पाकिस्तान ने अपने आतंकी संगठनों और कश्मीर में अपने बचे खुचे स्लीपर सेल की सहायता से एक बार फिर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की जान ली है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हुआ उसने देश की नब्बे के दशक की डरावनी स्मृतियां ताजी कर दीं। हथियारबंद आतंकवादियों ने बैसरन पहुंचे हिन्दू पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। हिन्दुओं से उनका धर्म पूछा, कलमा सुनाने को कहा, नीचे के कपड़े उतारकर मजहब जांचा और सिर में गोली मार दी। बिलखते हुए औरतों और बच्चों से कहा जाओ- मोदी को बताओ।

आतंकवादियों ने यह घृणित काम उस समय किया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस भारत में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर। आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए मंगलवार का दिन चुना जिसे हिन्दू बहुत पवित्र मानते हैं। आतंकवादी बॉडी कैमरा पहने हुए थे, उन्होंने हत्याओं का वीडियो भी बनाया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सोचा था कि ऐसा कुछ करके वो भारत को एक बार फिर अस्थिर कर देंगे लेकिन वो भूल गए कि अब भारत बहुत आगे बढ़ चुका है और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। घटना की सूचना आते ही प्रधानमंत्री सऊदी अरब से, गृह मंत्री से बात करते हैं और गृहमंत्री अमित शाह तत्काल श्रीनगर पहंचकर सुरक्षा समीक्षा बैठकें करते हैं, घटना स्थल पर जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ जाते हैं और

एअरपोर्ट पर भी बैठक कर अद्यतन जानकारी लेते हैं । वित्तमंत्री अमेरिका से भारत निकल पड़ती हैं। उसी दिन कैबिनेट समिति की बैठक होती है और पाकिस्तान सम्बन्धी कूटनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। पहलगाम हिंदू नरसंहार के प्रत्येक पीड़ित का शव सैनिक सम्मान के साथ घर पहुंचाया जा रहा है।

भारत सरकार ने पाकिस्तान को कूटनीतिक दृष्टि से कड़ा संदेश देते हुए 1960 का सिन्धु जल समझौता निलंबित कर दिया है, ज्ञातव्य है कि 1965 और 1971 के युद्ध में भी इसे निलंबित नहीं किया गया था। अटारी बार्डर बंद कर दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करते हुए उनको 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है और भारत अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुला रहा है। दूतावासों के अधिकारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जा रही है। यही नहीं भारतीय सेनाओं को हाई एलर्ट कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में भी आपरेशन आलआउट में तीव्रता लाई जा रही है। भारत के सभी प्रमुख राजनयिकों के साथ बैठक करके उन्हें भारत के पक्ष से अवगत करा दिया है। रूस, अमेरिका, इजराइल, इटली जैसे सभी प्रमुख राष्ट्रों ने भारत की आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) की नीति का समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में अत्यंत सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए चेतावनी दी है, कि इस घटना में शामिल तथा इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों की पहचान करके उनको दंड देने के लिए भारत धरती के किसी भी कोने में जाएगा। इस बार इन षड्यंत्रकारियों को ऐसा दंड मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अब उनकी बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अंग्रेजी में दोहराते हुए, सम्पूर्ण विश्व को भी ये सन्देश दिया कि. भारत अब रुकने वाला नहीं है।

धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान तथा उसके आतंकी नेटवर्क में बेचैनी थी और ये लोग बड़ी वारदात को अंजाम देने का लगातार प्रयास कर रहे थे अंततः उमर अब्दुल्ला की सरकार वापस आने के बाद उनको यह मौका मिल ही गया। आतंकवादी गुट कश्मीर में लगातार बढ़ रहे पर्यटन से परेशान थे क्योंकि गरीब कश्मीरी मुसलमानों जिनमें गुज्जर, बकरवाल जैसे शिया मुस्लमान शामिल हैं उनसे उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा था। कश्मीर के

प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में अत्यंत सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए चेतावनी दी है, कि इस घटना में शामिल तथा इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों की पहचान करके उनको दंड देने के लिए भारत धरती के किसी भी कोने में जाएगा। इस बार इन षड्यंत्रकारियों को ऐसा दंड मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। अब उनकी बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अंग्रेजी में दोहराते हुए, सम्पूर्ण विश्व को भी ये सन्देश दिया कि. भारत अब रुकने वाला नहीं है।

गरीब परिवार पर्यटकों के आगमन से ही फलते-फूलते हैं और उनका जीवन-यापन चलता है। बीते दिनों घाटी में पर्यटकों के खिलाफ बयानबाजी की गई और पर्यटकों के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया गया इनमें सत्ताधारी उमर अब्दुल्ला की पार्टी के लोग भी शामिल थे।

आज प्रधानमंत्री के अनथक प्रयासों से कश्मीर के हालात भले ही बदल रहे हों लेकिन स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से घाटी के अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों के आस पास अभी भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनके मन में पाकिस्तान के प्रति प्रेम जागता रहता है और वो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। पहलगाम की आतंकी घटना जहां घटी वो स्थान अमरनाथ यात्रा के दौरान ही खुलता है, इस स्थान को टूर ऑपरेटर्स ने बिना सुरक्षा बलों को सूचित किये कैसे खोल दिया? वो कौन से टूर ऑपरेटर्स हैं? स्वाभाविक है ये हमला बिना स्थानीय लोगों की मिलीभगत के नहीं हुआ है और यही कारण है कि हमलावरों की खोज, पहचान के लिए अब तक 500 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

आतंकी हमले में मारे गए मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी राव, जिनसे आतंकियों ने कहा - जाओ मोदी को बताओ, रिपब्लिक चैनल पर अर्नब गोस्वामी से बात करते हुए कहा- "मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि भारत का नाम सुनते ही आतंकियों को कांपना चाहिए" और मोदी जी ने पूरे विश्व के समक्ष इसकी घोषणा भी कर दी है। उधर मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे दल इस दुखद अवसर को भी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए भुना लेना चाहते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के दामाद राबर्ट्र वाड्रा ने हैरान करने वाला बयान दिया फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को महज एक हादसा बताकर हल्का करने का असफल प्रयास किया, इसी प्रकार का आपत्तिजनक बयान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दिया। इन सभी दलों के नेता और प्रवक्ता इस सत्य को झुठलाने में लगे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया है। यह लोग पाकिस्तान की निंदा तक नही कर पा रहे हैं, इनका व्यवहार पाकिस्तान व आंतकियों के लिए कवर फायर का काम कर रहा है। ■

अब सालार पर बाबा का चाबुक

सुभाष चन्द्र सिंह
पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, लखनऊ (उ.प्र.)

उत्तर प्रदेश में दशकों से चले आ रहे विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी (1014–1034) की बहराइच स्थित मजार पर निरंतर चलने वाले मेले पर रोक लगने के आसार बढ़ गए हैं। एक विदेशी आक्रांता की याद में मेले का औचित्य क्या है? यह सवाल गली-गलियारों में भी उठने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़क शासन में शायद ही इस बार का जून में पड़ने वाला मेला हो पाए।

बताना सामयिक होगा कि राज्य के चर्चित संभल जिले के हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद विवाद के बाद माहौल गरम है। होली के दिन वहां की सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा दिया गया था। ऐसा पहली बार हुआ जब हिन्दू जनमानस 'बाबा के राज' में सीना चौड़ा कर बेधड़क होली मनाने पर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। इसी सिलसिले में जब मार्च 2024 में सालार मसूद गाजी के नेजा मेले के आयोजन की बारी आयी तो पुलिस ने मना कर दिया। संभल के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी ने यहां तक कह दिया कि किसी आक्रांता की याद में कोई मेला नहीं होगा। मुस्लिम समाज को यह बात माननी पड़ी तो उसका एक बड़ा कारण 'बाबा के राज' में पुलिस का इकबाल है। अगर कोई दूसरा शासन होता तो न पुलिस ऐसा रवैया अपना पाती और अगर अपनाती तो दंगे होने निश्चित थे। लेकिन इस बार पुलिस के इकबाल के कारण न कोई दंगा हो पाया और न ही नेजा मेला आयोजित हो पाया।

बहराइच में जून माह में सालार मसूद गाजी की याद में मेले पर चर्चा करें, इससे पहले कौन था सैयद सालार मसूद? इस पर चर्चा करें। दरअसल सैयद सालार मसूद एक क्रूर आक्रांता था। महमूद गजनवी का भांजा बताया जाता है। अजमेर से बहराइच आकर उसने तत्कालीन राजा सुहलदेव पर आक्रमण किया लेकिन उसका दुर्भाग्य रहा कि युद्ध में वह मारा गया। उसका मन इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि वह अजमेर के राजा को हराने में सफल हो गया था और बताते हैं कि राजा की बहन से उसने बलात् विवाह किया। सोमनाथ मंदिर पर भी उसने आक्रमण किया। जब वो बहराइच आया तो वहां के सूर्य मंदिर को तोड़कर उसने मस्जिद बनाया। जब राजा सुहलदेव से युद्ध में मारा गया तो मुस्लिमों ने उसको गाजी की उपाधि (मजहवी योद्धा) दी और उसकी मजार स्थापित कर दी।

वह इतना बड़ा क्रूर अत्याचारी था जिससे अंग्रेज भी नफरत करते थे। उसकी समाधि पर मुसलमानों के साथ-साथ हिन्दुओं का चादर चढ़ाना, मन्नत मांगना आज भी आश्चर्य का विषय है। आत्महंता हिन्दू समाज ही ऐसा समाज है जो दुश्मनों की समाधि पर भी चादर चढ़ाता है। 19 वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासक भी हिन्दुओं के इस व्यवहार पर हत प्रव थे। अवध में तैनात ब्रिटिश रेजिडेंस विलियम हेनरी स्लीम की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। उसने लिखा, 'यह कितना अजीब है कि सालार गाजी की मजार पर मुसलमानों के साथ-साथ हिन्दू भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस सैन्य गुंडे के पक्ष में प्रार्थना करते हैं। इस सैन्य गुंडे की एक मात्र विशेषता है कि उसने अपने क्षेत्र पर अनियंत्रित और अकारण आक्रमण में बड़ी संख्या में हिन्दुओं की हत्या कर दी। सालार मसूद 16 साल की उम्र में सिन्धु नदी को पार कर भारत पर आक्रमण किया। पहले उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की, फिर दिल्ली के पास पहुंचा और कुछ समय बाद दिल्ली पर भी विजय प्राप्त कर ली। थोड़ा प्रतिरोध के बाद मेरठ पर भी उसको विजय मिली। बहराइच की ओर बढ़ा तब भी उसका विजय रथ नहीं रुका। जब 15 जून 1034 को उसका मुकाबला तत्कालीन राजा सुहलदेव से हुआ तो उस लड़ाई में न सिर्फ बुरी तरह हारा वरन् मारा गया।

पिछले कई दशकों से बहराइच और आस-पास के मुसलमान सालार गाजी की कब्र को महिमामंडित करने में लगे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के आदी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस और सपा, बसपा की सरकारों में इन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज्य में न केवल प्रोत्साहन बंद हुआ वरन् हर तरफ से इन पर चाबुक चल गया। आज स्थिति यह है कि सालार मसूद के इस साल बहराइच स्थित मजार पर होने वाले मेले पर पूर्ण विराम लगने की संभावना बढ़ गई है। ■

वक्फ संशोधन कानून
सामाजिक न्याय की ओर जरूरी कदम

अनित्य कुमार श्रीवास्तव
स्वतंत्र टिप्पणीकार

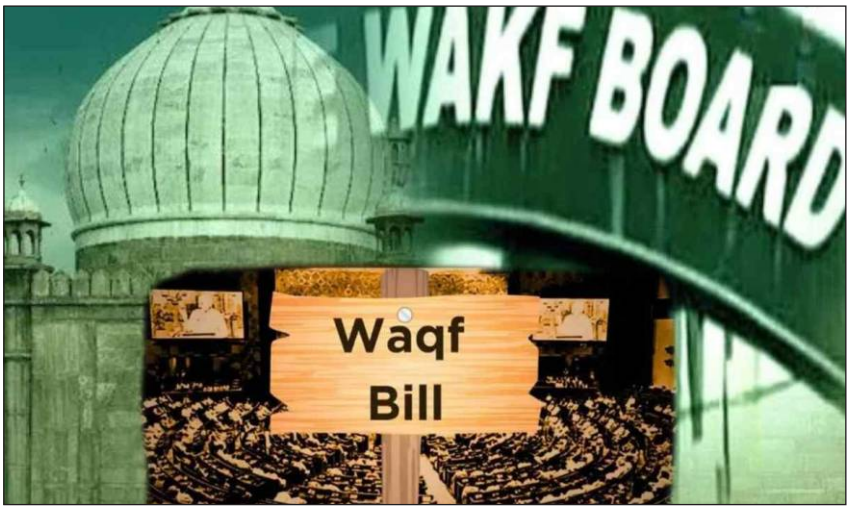

भारत में वक्फ की अवधारणा कोई नई नहीं है। भारत में पहला ज्ञात वक्फ 12वीं शताब्दी का है जो दुनिया के पहले वक्फ से मात्र दो शताब्दी के अंदर का है। वक्फ इस्लामी परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक हिस्सा धर्मार्थ कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करता है। यह संपत्ति "अल्लाह की संपत्ति" मानी जाती है और इसका उपयोग धार्मिक, शैक्षणिक या जनहित के कार्यों के लिए होना चाहिए। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जहां करोड़ों मुसलमान रहते हैं, वक्फ संपत्तियां एक सामाजिक पूंजी का रूप ले चुकी हैं, जिसका प्रभाव समुदाय के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर पड़ता है।

स्वतंत्र भारत में वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए 1954 में वक्फ अधिनियम लाया गया था। लेकिन समय के साथ इसमें कई खामियां उजागर हुईं, जिससे वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उनके सही इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे। 1995 में इस कानून को दोबारा संशोधित किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को अधिक अधिकार और संरचनात्मक ताकत दी गई। लेकिन असली मोड़ 2013 के संशोधन में आया, जिसने वक्फ बोर्डों को इतनी व्यापक शक्तियां दे दीं कि वे किसी भी संपत्ति को बिना न्यायिक हस्तक्षेप के वक्फ घोषित कर सकते थे। देश में होने वाले आम चुनावों की पूर्व संध्या पर किया गया यह दुराग्रही संशोधन वही बिंदु है जहां से विकृतियां शुरू हुईं।

'वक्फ बाई यूजर' की अवधारणा के तहत यह मान लिया गया कि यदि किसी संपत्ति का लंबे समय से धार्मिक उपयोग हो रहा है, भले ही वह निजी हो, सरकारी हो या विवादित, उसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि बिना किसी दस्तावेजी सबूत या भूमि रजिस्ट्रेशन के ही संपत्ति पर वक्फ का दावा किया गया और मालिक वर्षों तक कोर्ट के चक्कर काटता रहा। तमिलनाडु, केरल में पूरा गांव हो या 1500 वर्षों से अधिक पुराना मंदिर परिसर या राजधानी दिल्ली के अनेक महत्वपूर्ण इलाके और इमारतें, सब वक्फ की आंधी की चपेट में आ गए। इससे न केवल निजी संपत्ति अधिकारों पर आघात हुआ बल्कि कई सरकारी विकास परियोजनाएं जैसे सड़क, मेट्रो, और स्कूल भी वक्फ विवादों में फंस कर रुक गईं।

इस पृष्ठभूमि में, हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 एक समयोचित और महत्वपूर्ण पहल है। यह अधिनियम वक्फ कानून के ढांचे को आधुनिक और न्यायोचित बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, संपत्ति विवादों का न्यायिक समाधान सुनिश्चित करना और वक्फ संपत्तियों को वंचित तबकों के कल्याण से जोड़ना है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संशोधन में वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया गया है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले व्यापक दस्तावेजी जांच, सार्वजनिक नोटिस और आपत्तियों के निवारण की प्रक्रिया जरूरी होगी। साथ ही संपत्ति

विवादों का निपटारा अब अदालतों के जरिए होगा, न कि केवल वक्फ बोर्ड के आंतरिक निर्णय से। यह बदलाव संपत्ति धारकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और साथ ही वक्फ बोर्डों की कार्यशैली को कानूनी निगरानी में लाएगा।

इस अधिनियम में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड का है। अब वक्फ बोर्डों को अपनी सभी संपत्तियों का डिजिटल दस्तावेज तैयार कर उसे सार्वजनिक पोर्टल पर डालना होगा, ताकि आम नागरिक भी जानकारी प्राप्त कर सकें और गलत सूचनाओं या फर्जी दावों को चुनौती दे सकें। इससे वक्फ की वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार होगा।

हालांकि, इस अधिनियम को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज किया है। उनका कहना है कि इससे वक्फ संस्थाओं की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचेगा, और सरकार को धार्मिक संपत्तियों में हस्तक्षेप करने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन सरकार का तर्क है कि यह हस्तक्षेप नहीं बल्कि निगरानी और जवाबदेही की प्रणाली है, जो हर सार्वजनिक संस्था में होनी चाहिए, विशेष रूप से तब जब उस संस्था की संपत्ति का दायरा लाखों करोड़ की सार्वजनिक संपत्तियों तक फैला हो।

एक और आपत्ति यह भी है कि वक्फ संपत्तियों के उपयोग में यदि पसमांदा मुसलमानों और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, तो इससे धार्मिक संस्थाएं कमजोर होंगी। यह सोच अपने आप में इस बात को मान लेती है कि वक्फ का उद्देश्य केवल मस्जिदों, मदरसों और कुछ प्रभावशाली मजहबी, सियासी रसूखदारों तक सीमित है। जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ का असली उद्देश्य समाज सेवा होना चाहिए और अगर समाज के सबसे पिछड़े वर्गों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा, तो उसकी उपयोगिता ही सवालों के घेरे में है।

राजनैतिक और कट्टरपंथी विरोध के बावजूद संशोधन अधिनियम का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें पसमांदा मुसलमानों, महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए वक्फ संपत्तियों के लाभ को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस प्रावधान किए गए हैं। वक्फ बोर्डों की नई संरचना में महिला और पसमांदा समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करना अब कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। कट्टरपंथी समुदाय जिन मुस्लिम समुदायों को मुस्लिम तक नहीं मानते, उनका भी प्रतिनिधित्व और हित सुनिश्चित किए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि अब वक्फ की योजनाएं एक सीमित सामाजिक तबके के हितों तक सीमित नहीं रहेंगी।

हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 एक समयोचित और महत्वपूर्ण पहल है। यह अधिनियम वक्फ कानून के ढाँचे को आधुनिक और न्यायोचित बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, संपत्ति विवादों का न्यायिक समाधान सुनिश्चित करना और वक्फ संपत्तियों को वंचित तबकों के कल्याण से जोड़ना है।

अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि वक्फ से जुड़ी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इससे मुस्लिम महिलाओं और युवा वर्ग को स्कॉलरशिप, छात्रावास, ट्रेनिंग सेंटर और हेल्थ क्लीनिक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। विशेष रूप से पसमांदा मुस्लिम महिलाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा, जिनकी न तो अब तक वक्फ बोर्डों में कोई आवाज रही है और न ही योजनाओं में भागीदारी।

यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वक्फ जैसी सार्वजनिक संस्था, जो संविधान की धारा 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बावजूद सार्वजनिक संसाधनों के रूप में भी कार्य करती है, अपने भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता से बच सकती है। जो समुदाय खुद न्याय की मांग करता है, उसे अपने आंतरिक ढाँचे में भी न्याय और समावेश को जगह देनी ही होगी।

बेशक, वक्फ कानून में संशोधन की सफलता पूरी तरह इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि यह केवल कागजों में सिमट कर रह गया, तो न तो संपत्ति विवाद सुलझेंगे, न ही वंचितों को लाभ मिलेगा। लेकिन यदि इसे ईमानदारी से लागू किया गया, तो यह अधिनियम वक्फ को एक धार्मिक संस्था भर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का सशक्त माध्यम बना सकता है।

कुल मिलाकर, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 भारत की मुस्लिम समाज के भीतर गहराई से फैली सामाजिक विषमताओं को दूर करने की दिशा में एक ठोस पहल है। यह संपत्ति अधिकार, पारदर्शिता और समावेशी विकास के त्रिकोण में संतुलन बनाता है और यही किसी लोकतांत्रिक समाज की असली पहचान होनी चाहिए।

अंत में इस संशोधन को साकार करने वाली मोदी सरकार के लिए कुछ न कहा जाए तो यह लेख अधूरा रहेगा। जहां समाज के हर वर्ग को साथ ला कर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सम्भव है, वहां यह भी ध्यान रखना होगा कि यद्यपि बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग भाजपा को वोट नहीं करता तथापि मुस्लिम समाज, मुस्लिम महिलाओं और पसमांदा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए इस पार्टी और सरकार ने पूरे मनोयोग से निस्वार्थ भाव के साथ कानून या प्रशासनिक माध्यम से परिस्थितियां अनुकूल बनाने का लगातार प्रयत्न किया है। वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इसी शृंखला की नवीनतम कड़ी है। ■

वक्फ को जानें ! न गुमराह हों, न करें!

प्रशांत त्रिपाठी
अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली

भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई संशोधन हुए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। इन कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आकार दिया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक निकायों में शामिल हैं-

1) केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय जो देश भर में वक्फ प्रशासन पर मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करता है। इसका वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन नीतिगत मामलों पर सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देता है।

2) राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) - ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वक्फ अधिनियम के अनुसार उनके प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

3) वक्फ ट्रिब्यूनल - वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय। यह संरचित प्रशासनिक सेटअप वक्फ संपत्तियों के बेहतर शासन को सुनिश्चित करता है और वक्फ से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है।वर्षों से, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है।

भारत में वक्फ इतिहास का अवलोकन :

भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन को प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को रोकने के उद्देश्य से कई विधायी अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया गया है-

1) मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 – इस अधिनियम ने मुसलमानों के अपने परिवारों और वंशजों के लाभ के लिए वक्फ बनाने के अधिकार को स्पष्ट और पुष्टि की, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल हैं- वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य। तथापि, अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि यह अधिनियम वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में कारगर सिद्ध नहीं हुआ।

2) मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923- वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन में सुधार के लिए पेश किया गया।

3) मुसलमान वक्फ विधिमान्य अधिनियम, 1930 – इसने 1913 के अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया, जिससे पारिवारिक वक्फ की कानूनी वैधता को बल मिला।

4) वक्फ अधिनियम, 1954 - वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित प्रशासन, पर्यवेक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार राज्य वक्फ

बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) की स्थापना की गई। आजादी के बाद ही वक्फ को मजबूत किया गया है। 1954 के वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, एक वैधानिक निकाय 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है जिन्हें वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 9 (1) के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था।

5) वक्फ अधिनियम, 1954 (1959, 1964, 1969 और 1984) में संशोधन - इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में और सुधार करना था।

6) वक्फ अधिनियम, 1995 - इस व्यापक अधिनियम ने वर्ष 1954 के अधिनियम और इसके संशोधनों को निरस्त कर दिया। वक्फ अधिनियम, 1995 को भारत में वक्फ संपत्तियों (धार्मिक बंदोबस्ती) के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति और कार्यों के साथ-साथ मुतवल्ली के कर्तव्यों का भी प्रावधान करता है। यह अधिनियम एक वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्ति और प्रतिबंधों का भी वर्णन करता है जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक सिविल कोर्ट के बदले कार्य करता है। एक ट्रिब्यूनल का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही किसी भी सिविल कोर्ट के तहत नहीं होगी। इस प्रकार, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी सिविल कोर्ट से ऊपर बनाया गया ।

7) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं - तीन सदस्यीय वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन, जिसमें मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति शामिल है।राज्य वक्फ बोर्डों में दो महिला सदस्यों को शामिल करना। वक्फ संपत्तियों की बिक्री और उपहार पर प्रतिबंध, अलगाव की गुंजाइश को कम करना। वक्फ संपत्तियों के लिए लीज अवधि 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना, बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना।

8) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025, और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 – प्रस्तावित विधेयक वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण करने, मुकदमेबाजी को कम करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक विधायी प्रयास है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 की कमियों को दूर करना और 2013 (संशोधन) अधिनियम द्वारा पेश की गई विसंगतियों को दूर करना है।

वक्फ से संबंधित वैधानिक प्रावधान क्या हैं? मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1913 -

WAMSI पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, 30 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने रिपोर्ट किया है कि वहां 8.72 लाख संपत्तियां हैं, जो 38 लाख एकड़ से अधिक भूभाग को कवर करती हैं। 8.72 लाख संपत्तियों में से 4.02 लाख उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हैं। शेष वक्फ संपत्तियों के लिए, स्वामित्व अधिकार स्थापित करने वाले दस्तावेज (डीड्स) WAMSI पोर्टल पर 9279 मामलों के लिए अपलोड किए गए हैं और केवल 1083 वक्फ डीड अपलोड किए गए हैं।

♦ यह अधिनियम उन मुस्लिम वक्फों को वैध बनाने के लिये बनाया गया था जिन्हें पहले कुछ न्यायिक निर्णयों द्वारा अवैध करार दिया गया था।

♦ अधिनियम ने स्पष्ट रूप से निर्माता के परिवार, बच्चों और वंशजों के रखरखाव तथा सहायता के लिये बनाए गए वक्फ की वैधता को मान्यता दी।

♦ इसमें कहा गया कि कोई भी वक्फ केवल इसलिये अवैध नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें आरक्षित लाभ वक्फ (निर्माता) के परिवार, बच्चों या वंशजों के लिये है।

♦ यह अधिनियम इसके अधिनियमन से पहले बनाए गए वक्फों को वैध बनाने के लिये पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, बशर्ते कि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों।

♦ इसने वक्फ को मुस्लिम विधि द्वारा धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिये किसी भी संपत्ति के स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया।

वक्फ अधिनियम, 1954-

♦ यह अधिनियम स्वतंत्र भारत में वक्फ के प्रशासन के लिये पहला व्यापक विधान था।

♦ इसमें वक्फों के पर्यवेक्षण एवं प्रशासन के लिये केंद्रीय एवं राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना का प्रावधान किया गया।

♦ अधिनियम में 'वक्फ' को अधिक विस्तार से परिभाषित किया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों वक्फ शामिल हैं।

♦ इसने वक्फ प्रशासन की देखरेख के लिये वक्फ आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया।

♦ इस अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और विकास के लिये वक्फ कोष के गठन का प्रावधान किया गया।

♦ इसमें वक्फ सम्पतियों के बेहतर प्रबंधन और उपयोग के लिये प्रावधान प्रस्तुत किये गए।

♦ अधिनियम में वक्फ से संबंधित विवादों के समाधान के लिये प्रक्रियाएँ निर्धारित की गईं।

♦ इसमें वक्फ सम्पतियों के दुरुपयोग या दुर्वी विनियोजन के लिये दण्ड का प्रावधान किया गया।

♦ इस अधिनियम ने वक्फ बोर्ड को खोई हुई वक्फ संपत्तियों की वसूली के लिये उपाय करने का अधिकार दिया।

♦ इसमें वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के लिये प्रावधान प्रस्तुत किये गए।

भारत का 'वक्फ' विधान क्या है?

एक परिचय- इस्लामी न्यायशास्त्र के अंतर्गत, वक्फ वह संपत्ति है जो अल्लाह के नाम पर धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये स्थायी रूप से समर्पित की जाती है। वक्फ में सार्वजनिक लाभ के लिये स्थापित चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हो सकती हैं, यह धर्मपरायणता का एक ऐसा कार्य है जो संस्थापक के धर्मार्थ उद्देश्यों को उनके नश्वर अस्तित्व से आगे तक विस्तारित करता है। वक्फ की स्थापना औपचारिक विलेख या दस्तावेज के माध्यम से, या विधि के संचालन द्वारा की जा सकती है, जहां संपत्ति का उपयोग पर्याप्त अवधि तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये किया गया हो। वक्फ संपत्तियों से प्राप्त राजस्व को आमतौर पर धार्मिक संस्थाओं, शैक्षिक प्रतिष्ठानों के रखरखाव या निर्धन व्यक्तियों के लाभ के लिये आवंटित किया जाता है। वक्फ के रूप में नामित होने पर, संपत्ति अविभाज्य हो जाती है और इसे उत्तराधिकार, विक्रय या उपहार के माध्यम से अंतरित नहीं किया जा सकता है। एक गैर-मुस्लिम व्यक्ति भी वक्फ बना सकता है, परंतु उस व्यक्ति को इस्लाम धर्म को स्वीकार करना होगा और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामिक होना चाहिये। भारत में वक्फ का संचालन वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत होता है। वक्फ संपत्तियों की पहचान और मानचित्रण का कार्य राज्य सरकार के तत्त्वावधान में किये गए सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त को स्थानीय जांच, साक्षियों की साक्षी की विवेचना एवं सार्वजनिक अभिलेखों की जांच के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की पहचान करने का अधिकार दिया गया है।

नरसिम्हा राव सरकार में बढ़ी थी वक्फ बोर्ड की शक्तियां : 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि, 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिलीं। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए-नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दीं। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 (आर) के मुताबिक, अगर कोई संपत्ति, किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक (पवित्र), मजहबी (धार्मिक) या (चेरिटेबल) परोपरकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में वर्ष 2013 में संशोधन पेश किए गए, जिससे वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई।

वक्फ बोर्ड को मिली थीं ये शक्तियां- अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया, तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उसमें गैर-मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।वक्फ बोर्ड देशभर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है।

इतिहासकार हबीब इस्लाम में वक्फ की जड़ो के बारे में बताते हैं, 'इस्लाम में दान की व्यवस्था शुरू से थी, जैसे जकात और फितरा। लेकिन संपत्ति को वक्फ करने का विचार बाद में विकसित हुआ।'

1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है।देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड अनुदान दिया जाता रहा है। मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्च सरकार का होगा। यह तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। वर्तमान समय में देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां, कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं।WAMSI पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, 30 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने रिपोर्ट किया है कि वहां 8.72 लाख संपत्तियां हैं, जो 38 लाख एकड़ से अधिक भू-भाग को कवर करती हैं। 8.72 लाख संपत्तियों में से 4.02 लाख उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हैं। शेष वक्फ संपत्तियों के लिए, स्वामित्व अधिकार स्थापित करने वाले दस्तावेज (डीड्स) WAMSI पोर्टल पर 9279 मामलों के लिए अपलोड किए गए हैं और केवल 1083 वक्फ डीड अपलोड किए गए हैं।

वक्फ बोर्ड की मुख्य विशेषताएँ और भूमिका क्या है?

♦ वक्फ अधिनियम 1995 के तहत स्थापित वक्फ बोर्ड को अपने संबंथित राज्य क्षेत्राधिकार में वक्फ संपत्तियों की देखरेख और प्रशासन काअधिकार प्राप्त है।

♦ बोर्ड को एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा उसके पास न्यायालय में विधिक कार्यवाही आरंभ करने या बचाव करने की विधिक क्षमता है।

♦ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की पुनः प्राप्ति और संरक्षण के लिये उपाय करने का अधिकार है, जिनमें वे संपत्तियां भी शामिल हैं जो अंतरित कर दी गई हैं या जिन पर अतिक्रमण किया गया है।

♦ अपने सदस्यों के बहुमत (दो-तिहाई) के अनुमोदन के अधीन बोर्ड, विक्रय, उपहार, बंधक, विनिमय या पट्टे सहित अंतरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से अचल वक्फ संपत्ति के अंतरण को स्वीकृति दे सकता है।

♦ बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों के व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है, जैसा कि अथिनियम के तहत नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा पहचाना और चित्रित किया गया है।

♦ बोर्ड को व्यक्तिगत वक्फों के प्रशासन में मुतवल्लियों की देखरेख, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना और वक्फ परिसंपत्तियों का उचित प्रबंधन करने का दायित्व सौंपा गया है।

♦ इस अधिनियम में 2013 के संशोधनों के अनुसार, बोर्ड के अधिकार को बढ़ाया गया है, विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों के अंतरण पर प्रतिबंधों के संबंध में।

♦ बोर्ड, राज्य सरकार और वक्फ संस्थाओं के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है तथा अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ विधानों एवं नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करता है।

♦ बोर्ड को देश भर में वक्फ संपत्तियों के एकसमान प्रशासन को सुनिश्चित करने और वक्फ मामलों से संबंधित अंतरराज्यीय विवादों को हल करने के लिये केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ काम करने का अधिकार दिया गया है।

भारत में वक्फ कब आया? : इस्लाम के भारत आने के साथ ही भारत में वक्फ की आमद मानी जा सकती है, हालांकि इतिहास इसे लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है कि वह किस कालखंड में इसकी शुरुआत हुई। ऐसे में यह भी तय करना इतिहास के लिए मुश्किल ही है, वक्फ को औपचारिक रूप से लागू करने वाला 'पहला शासक' कौन रहा होगा। ये सवाल ठीक ऐसा ही है, जैसा कि ये जानने की कोशिश करना की 'दान की परंपरा कैसे शुरू हुईं। मोहम्मद गोरी से मानी जा सकती है शुरुआत, हालांकि एक तथ्य यह है कि वक्फ की संपत्ति की शुरुआत सिर्फ दो गांवों के दान से हुई थीं। इन दो गांवों का संबंध मोहम्मद गोरी से जुड़ा है। 12वीं शताब्दी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने सैन्य ताकत और इस्लामिक संस्थानों को बढ़ाकर अपनी सत्ता मजबूत करने की

इस्लामी न्यायशास्त्र के अंतर्गत, वक्फ वह संपत्ति है जो अल्लाह के नाम पर धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये स्थायी रूप से समर्पित की जाती है।

कोशिश की थी। मोहम्मद गौरी ने मुसलमानों की शिक्षा और उनकी इबादत के लिए मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए दो गांव दान में दिए थे। भारत में इसको वक्फ के पहले उदाहरण में से एक माना जाता है। यह भी कहते हैं कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद, वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है, इसकी शुरुआत 12वीं सदी के अंत में अविभाजित भारत के पंजाब के मुल्तान में हुई, और दिल्ली में राज करने वाले सुल्तानों के शासनकाल में यह फैली वक्फ इस्लामी परंपरा का हिस्सा था और यह भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल में धीर-धीरे प्रचलन में आया। अब अगर समय के पहिए के साथ पीछे की ओर सफर करते हुए चलें तो मिलता है कि इस्लाम के साथ 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के कदम जब दक्षिण भारत (खासकर मालाबार क्षेत्र) में पड़े तो इसी के साथ 'वक्फ' ने भी भारतीय जमीन पर कदम रखा, लेकिन इसे शासकीय स्तर पर लागू करने की बात की जाए तो पहला जिक्र दिल्ली सल्तनत के शासकों को दिया जा सकता है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 13वीं शताब्दी से हुई थी।

चिंताजनक है वक्फ की मौजूदा स्थिति - ये सारी बातें कहते हुए इरफान हबीब इसकी मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जाहिर करते हैं। वह कहते हैं, 'जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता, उसके सब मालिक बन जाते हैं। वक्फ संपत्तियों के साथ भी यही हुआ। कई जगह इनका दुरुपयोग हुआ और सरकारों ने ठीक से नियंत्रण नहीं किया।' वे आगे कहते हैं, लोग चाहते हैं कि इसमें ईमानदारी आए, लेकिन यह भी जरूरी है कि इसका नियंत्रण समुदाय के पास रहे। अगर सरकार इसका मालिक बन जाए या बाहरी लोग हस्तक्षेप करें, तो इसका मूल उदेश्य खत्म हो जाता है। हबीब इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ लोग सरकार के नए संशोधनों पर शक करते हैं। वे कहते यह एक बड़ा रियल एस्टेट है। लोगों को लगता है कि इसके पीछे कब्जे की नीयत हो सकती है, जो चिंता की बात है।

इतिहासकार हबीब इस्लाम में वक्फ की जड़ो के बारे में बताते हैं, 'इस्लाम में दान की व्यवस्था शुरू से थी, जैसे जकात और फितरा। लेकिन संपत्ति को वक्फ करने का विचार बाद में विकसित हुआ।'

सामान्य तौर पर, हबीब यह मानते हैं कि वक्फ जैसी व्यवस्थाएं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों और रूपों में हैं, लेकिन उनका मूल उदेश्य धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्ति का उपयोग करना ही होता हैं। वह कहते है कि 'यह भी जरूरी नहीं है कि अन्य देशों में उनका नाम वक्फ ही हो, कुछ और भी नाम हो सकता है।आखिर हर जगह दान के कार्य तो होते ही हैं।' हबीब का मानना है कि वक्फ एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज के लिए बनाई गई थी। इसे उसी भावना के साथ आगे बढ़ाना हमारी साझा जिम्मेदारी है। ■

सामाजिक और लोकतांत्रिक विकास का वाहक मीडिया

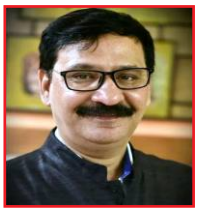

प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी
पूर्व महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान
नई दिल्ली

समय के साथ-साथ वैश्वीकरण का प्रभाव भी लगातार बढ़ता गया है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक ने इस बात को बहुत गहरे से रेखांकित किया है कि किसी भी देश को अगर तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है, तो उसे शेष विश्व से जुड़ना आवश्यक है। और यह जुड़ाव तभी संभव है, जब सभी प्रकार की प्रासंगिक और उपयोगी जानकारियां और सूचनाएं अबाध रूप से सभी लोगों तक पहुंचती रहें। सूचनाओं के बिना समाज नए दौर के तकाजों से निपटने के मामले में एकदम असहाय हो जाता है। विकास की प्रतिस्पर्द्धा में वह पिछड़ने लगता है। सौभाग्य से भारत के साथ ऐसा नहीं है। यहां दशकों पहले ही सूचनाओं और जानकारियों का एक ऐसा तंत्र विकसित हो चुका है, जिसका देश की दशा और दिशा निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया ने इस तंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण और सशक्त भूमिका निभाई है और मीडिया को इस भूमिका को निभाने के लिए हमारी शासन व्यवस्था ने भरपूर स्वतंत्रता व अधिकार भी प्रदान किए हैं।

मीडिया, अथवा जनसंचार माध्यम, हर व्यवस्था में आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। शासन और जनता के बीच सेतु का काम कर मीडिया दोनों की बात एक-दूसरे तक पहुंचाता है और उनके बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करता है। मीडिया ने स्वतंत्र भारत के आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक उत्थान में बहुत योगदान दिया है। भारत में मीडिया हमेशा से ही एक स्वस्थ समाज और सुदृढ़ लोकतंत्र की आधारशिला रहा है। उसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ यूं ही नहीं कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के शेष तीन अंगों, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से एकदम अलग, यह इस व्यवस्था का एकमात्र ऐसा हिस्सा है, जो खुद पहलकदमी कर, समाज की आखिरी सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचता है। इसी प्रकार वह व्यक्ति भी जब चाहे, उस तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि यहां उसकी बात सुनी जाएगी, उसे सही जगह तक पहुंचाया जायेगा और समाधान पाने में उसकी पूरी मदद की जायेगी।

आम आदमी की ताकत बना मीडिया : मीडिया ने उसके इस विश्वास को कभी धूमिल भी नहीं होने दिया है। पिछले कई दशकों में हमने देश में समय-समय पर मीडिया को आम आदमी की ताकत बनते देखा है। उसे शोषण और अन्याय से मुक्ति के लंबे दुष्चक्र से मुक्ति दिलाते देखा है। जब भी किसी सत्ता ने आम आदमी को दरकिनार कर मनमानी की है, मीडिया ने जनता को उसकी जनविरोधी नीतियों से छुटकारा दिलाने में मदद की है। ऐसे अनेक अवसर आए हैं, जब मीडिया कभी अवाम की आवाज बना है, कभी आंख बना है, तो कभी उसका दिमाग बनकर उसे सही राह दिखाई है। आजादी से आपातकाल तक, आंदोलनों से युद्धकाल तक, आधुनिक दौर में भी हम बार-बार मीडिया की इस अतुल्य ताकत के साक्षी बने हैं। भारतीय मीडिया ने हमेशा समाज और देश की हर छोटी से छोटी इकाई के उत्थान और सशक्तीकरण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत अगर विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, तो इसमें काफी बड़ा हाथ मीडिया का भी है।

आधुनिक दुनिया से परिचय : पहले हम अपनी गलतियों से सीखते थे, अब दूसरों के अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। बिहार का एक किसान अगर किसी खास तकनीक का प्रयोग कर अपनी फसल को चार गुना करता है, तो मीडिया उसकी खबर देश के कोने-कोने में मौजूद किसानों तक पहुंचाता है। वे उससे प्रेरित होकर अपने-अपने स्तर पर इसी तरह के प्रयोग कर सकते हैं। धीरे-धीरे एक व्यक्ति की सफलता, पूरे देश की उपलब्धि

बन जाती है।

बदलती प्राथमिकताएं : लेकिन, 21 वीं सदी के आरंभ के बाद से दुनिया, समाज और हमारी जीवन शैली में बहुत बदलाव आए हैं। इन बदलावों के प्रभाव से मीडिया भी अछूता नहीं रहा है। चाहे-अनचाहे उसकी भूमिका भी बदलती जा रही है। यह नई भूमिका, उसे उसके मूल लक्ष्यों और उद्देश्यों से विचलित कर रही है। इसलिए मीडिया पर से अब लोगों का भरोसा उठ रहा है। हालांकि होना इसका उल्टा चाहिए था। क्योंकि आज का दौर तो सूचना क्रांति का दौर है, इसने मीडिया की शक्ति भी बढ़ाई है और रफ्तार भी। आज हम पहले की अपेक्षा, ज्यादा तेजी से सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं और इससे भी अधिक तेजी से उन सूचनाओं को जनता तक पहुंचा सकते हैं। प्रौद्योगिकी में आए बदलावों और तकनीकी विकास की बदौलत हमें मिली इस नई ताकत को तो हमने पहचान लिया है, लेकिन इसका समुचित इस्तेमाल हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। सैकड़ों न्यूज चैनलों, हजारों अखबारों और लाखों वेबसाइटों के माध्यम से बेशक हम दिन भर खबरों की बारिश कर रहे है, लेकिन इनमें ऐसी खबरें नहीं के बराबर ही होती हैं, जो लोगों के काम की हों।

जड़ों की ओर वापसी : पारंपरिक अवधारणा के अनुसार, मीडिया के तीन प्रमुख लक्ष्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन ही रहे हैं। लेकिन, मौजूदा दौर में जारी दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में हमने खबरों को ही मनोरंजन का माध्यम बना दिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उस आम आदमी को ही हुआ है, जिसके उत्थान और कल्याण का प्रमुख दायित्व हमारा ही है। हमने उसे सूचनाओं के एक ऐसे महासागर में लाकर छोड़ दिया है, जहां वह सही-गलत और अच्छे-बुरे में फर्क करने की अपनी सामर्थ्य खो बैठा है। वह नहीं समझ पाता कि कौन सी सूचना उसके हित में है और कौन सी उसके विरुद्ध जा सकती है। एक जिम्मेदार मीडिया

मीडिया, अथवा जनसंचार माध्यम, हर व्यवस्था में आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। शासन और जनता के बीच सेतु का काम कर मीडिया दोनों की बात एक-दूसरे तक पहुंचाता है और उनके बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करता है। मीडिया ने स्वतंत्र भारत के आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक उत्थान में बहुत योगदान दिया है। भारत में मीडिया हमेशा से ही एक स्वस्थ समाज और सुदृढ़ लोकतंत्र की आधारशिला रहा है।

के रूप में हम उसे उसकी यह सामर्थ्य लौटा सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा और फिर से सनसनी की बजाय सही सूचना और सही शिक्षा देने पर ध्यान देना होगा।

वास्तविक और तथ्यपरक सूचनाओं का वाहक बनकर मीडिया लोगों को सही और पथप्रदर्शक सामग्री प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आज प्रतिस्पर्द्धा के चक्कर में फंसकर, समाचारों को मसालेदार बनाकर, उनकी मूल संरचना की बजाय उन्हें किसी पहेली की तरह प्रस्तुत कर और मनोरंजन के सामान में बदलकर पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से वे अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती हैं और आमजन को उत्प्रेरित करने में नाकाम रहती हैं। मीडिया को चाहिए कि वह खबरों को सिर्फ खबरों के रूप में ही पेश करे, ताकि वे पाठक या दर्शक को सोचने के लिए प्रेरित करें, उनका मार्गदर्शन करें।

जनता और सरकार के बीच सेतु : यह सही है कि मीडिया आम आदमी की आवाज है, लेकिन उसकी भूमिका यहीं तक सीमित नहीं है। वह आम आदमी और सरकार के बीच एक पुल का कार्य करता है। वह आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में उसकी बात, उसकी जरूरतें, उसकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाकर, जनहितैषी नीतियों के निर्माण में सरकार के मार्गदर्शक सलाहकार का काम कर सकता है। वहीं, वह सरकार की प्रस्तावित योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में आम लोगों को जागरूक कर सकता है। यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार सरकार तो योजनाएं प्रारंभ कर देती है, लेकिन आम जनता तक उनकी जानकारी नहीं पहुंच पाती और अधिसंख्य लोग उनका लाभ उठाने से चूक जाते हैं। चूंकि मीडिया सीधे आमजन से जुड़ा होता है, इसलिए क्षेत्र या समुदाय विशेष के लिए योजनाएं तैयार करते समय मीडिया से प्राप्त इनपुट अधिक कारगर योजनाएं बनाने में सरकार की सहायता कर सकता है।

आज तो तकनीक ने मीडिया की पहुंच को इतना विस्तार दे दिया है कि कोई भी सूचना या समाचार पल भर में संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच जाते हैं। इस सुविधा का लाभ एक सशक्त, विकसित व आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में किया जा सकता है। मास मीडिया, सोशल मीडिया के साथ मिलकर, इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बस हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी जानकारियों का प्रसार सही और विश्वसनीय संचार माध्यमों के जरिये ही हो। ■

बुद्ध पूर्णिमा

करुणा, ज्ञान और शान्ति का पर्व

डॉ. उज्ज्वल कुमार
प्रोफेसर, बौद्ध विद्या अध्ययन विभाग
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

सांस्कृतिक दृष्टि से, बुद्ध पूर्णिमा भारत और विश्व के अनेक देशों में श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 13 दिसम्बर 1999 को महासभा के 54वें सत्र में बुद्ध पूर्णिमा को औपचारिक रूप से 'अन्तरराष्ट्रीय वैसाख दिवस' के रूप में मान्यता प्रदान की। यह मान्यता इस तथ्य का सशक्त प्रमाण है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी वैश्विक शान्ति, मानवीय मूल्यों, और आध्यात्मिक चेतना के लिए अत्यन्त प्रासंगिक हैं।

भारतीय संस्कृति में पूर्णिमा की तिथियां कालचक्र की गणनाएं मात्र नहीं हैं, अपितु आत्मचिन्तन, साधना और चित्त की विशुद्धि के विशिष्ट क्षण होती हैं। माघ, फाल्गुन और चैत्र की पूर्णिमाओं के क्रम में जब वैशाख पूर्णिमा (पालि : वेसाख पुण्णिमा) का आगमन होता है-जो सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात् आने वाली चौथी पूर्णिमा होती है, तो यह दिन साधक के लिए केवल एक खगोलीय घटना नहीं रह जाता, बल्कि आन्तरिक जागरण और आत्मिक उत्कर्ष का प्रतीक बन जाता है। यह वही पावन तिथि है जब गौतम बुद्ध के जीवन की तीन महत्त्वपूर्ण घटनाएं-जन्म, बोधि प्राप्ति और महापरिनिर्वाण घटित हुईं थी। इन्हीं स्मृतियों के कारण वैशाख पूर्णिमा को उनके नाम पर सम्पूर्ण विश्व में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध परम्परा में यह तिथि एक विशेष उपोसथ दिवस के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसे वेसाख उपोसथ अथवा बुद्ध दिवस कहा जाता है। यह पर्व, चन्द्रमा की पूर्णता की भांति, साधक को आत्मिक परिपूर्णता की ओर उन्मुख होने के संकल्प का अवसर प्रदान करता है-एक ऐसा संकल्प जो आत्मजागरण के सनातन पथ की ओर अग्रसर करता है। बुद्ध पूर्णिमा वह पावन अवसर है, जो न केवल इतिहास की एक घटना का स्मरण कराता है, बल्कि उस बोधि की पुनः स्मृति है जिसमें समस्त प्राणियों के कल्याण और निर्वाण का मार्ग निहित है। बौद्ध कालगणना के अनुसार वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध नववर्ष का पावन प्रारम्भ भी माना जाता है।

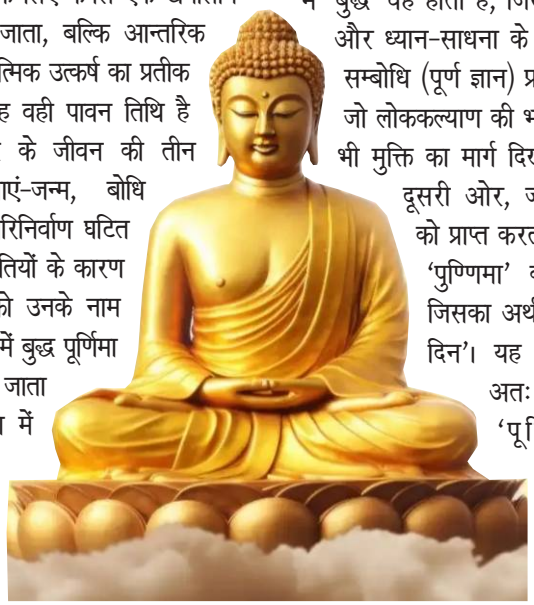

बुद्ध एवं पूर्णिमा: अर्थ और प्रतीकात्मकता

'बुद्ध' शब्द संस्कृत/पालि की बुध् (बोध) धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है - 'जागना', 'जानना' या 'बोध को प्राप्त करना'। इस प्रकार 'बुद्ध' का शाब्दिक अर्थ है- वह व्यक्ति जो अज्ञान रूपी निद्रा से जाग चुका हो और जिसे संसार के यथार्थ का सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो गया हो। बौद्ध परम्परा में 'बुद्ध' वह होता है, जिसने अपने पुरुषार्थ और ध्यान-साधना के माध्यम से सम्यक् सम्बोधि (पूर्ण ज्ञान) प्राप्त किया हो और जो लोककल्याण की भावना से दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाने में सक्षम हो। दूसरी ओर, जब चन्द्रमा पूर्णता को प्राप्त करता है, उस दिन को 'पुण्णिमा' कहा जाता है - जिसका अर्थ है 'पूर्ण चन्द्र का दिन'। यह शब्द स्त्रीलिंग है, अतः लोक में यह 'पूर्णिमा' (पालि 'पुण्णिमा') नाम से विख्यात है। इस प्रकार, बुद्ध पूर्णिमा न केवल एक पावन तिथि है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक भी है - यह वह दिन है जब बाह्य रूप से चन्द्रमा पूर्ण होती है और आन्तरिक रूप से व्यक्ति बोधि से आलोकित होता है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि बुद्धत्व केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां अज्ञान का अन्धकार मिटकर ज्ञान, करुणा और समत्व का प्रकाश फैलता है। जिस प्रकार चन्द्रमा पूर्ण आकार में सम्पूर्ण आकाश को आलोकित करता है, उसी प्रकार हम भी साधना, संकल्प और स्वान्वेषण के माध्यम से अपने जीवन में पूर्णता, प्रशान्ति

और प्रज्ञा की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

बुद्ध का जीवन : एक संक्षिप्त परिचय-

गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी (वर्तमान नेपाल) में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन और रानी माया देवी के पुत्र थे। बचपन से ही सिद्धार्थ की प्रवृत्ति गम्भीर, विचारशील और वैराग्ययुक्त रही। एक दिन नगर भ्रमण के समय उन्होंने क्रमशः एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक संन्यासी को देखा। इन चार दृश्यों ने उनके अन्तर्मन में गहरी छाप छोड़ी और उन्हें संसार की असारता और क्षणभंगुरता का बोध हुआ। परिणामस्वरूप, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़कर सत्य की खोज हेतु गृहत्याग किया। इस महान घटना को पालि साहित्य में महाभिनिक्खमण (संस्कृत : महाभिनिष्क्रमण) कहा गया है।

इसके पश्चात् सिद्धार्थ ने छः वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान-साधना की, किन्तु उन्होंने अनुभव किया कि अति-संयम और अति-तप भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। अन्ततः बोधगया (बिहार) में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए, 35 वर्ष की आयु में उन्हें सम्यक बोधि की प्राप्ति हुई और वे 'बुद्ध' अर्थात् 'जाग्रत पुरुष' कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में अपने पूर्व के पांच साथियों, जो पञ्चवग्गीय भिक्खु के नाम से प्रसिद्ध हैं, को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धम्मचक्कपवत्तन (संस्कृत : धर्म चक्र प्रवर्तन) कहा जाता है, जिसमें उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टाङ्गिक मार्ग का प्रतिपादन किया। यही उनके शिक्षण का आधार बना, जिसे 'धम्म' (धर्म) के रूप में स्वीकार किया गया।

बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर धर्म का प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने अन्तिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए।

बुद्ध की शिक्षाएं : चार आर्य सत्य और अष्टाङ्गिक मार्ग - बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वह केवल आत्मकल्याण तक सीमित नहीं था, बल्कि समस्त प्राणियों के लोककल्याण के लिए था। उन्होंने अपने अनुभव और बोध के आधार पर जिन शिक्षाओं का प्रतिपादन किया, उनमें चार आर्य सत्य और अष्टाङ्गिक मार्ग सबसे प्रमुख हैं। चार आर्य सत्य प्रथमतः यह बताते हैं कि दुःख है- जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रिय से वियोग और अप्रिय से संयोग सब दुःख हैं। द्वितीय, इस दुःख का मूल कारण तृष्णा है-इच्छाओं की निरन्तर प्रवृत्ति और आसक्ति। तृतीय, तृष्णा का निरोध ही दुःख से मुक्ति का उपाय है, जिसे निर्वाण कहा गया है। और चतुर्थ, इस मुक्ति तक पहुंचने के लिए जो व्यावहारिक मार्ग है, वह है आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, जो आठ अंगों से मिलकर बना है-सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीविका, सम्यक् प्रयास, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। इन शिक्षाओं का सार यह है कि व्यक्ति को जीवन में न तो इन्द्रिय भोग में लिप्त होना चाहिए और न ही कठोर तपस्या में-बल्कि मध्यम मार्ग को अपनाकर संयम, जागरूकता, करुणा और आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। यही मार्ग दुःख की निवृत्ति और चित्त की विशुद्धि की ओर ले जाता है। यह मार्ग न तो इन्द्रिय सुखों में लिप्त होने का है और न ही अति-तपस्या का, बल्कि यह जीवन को संयम, जागरूकता और मैत्री से परिपूर्ण करने का एक व्यावहारिक साधन है।

बुद्ध पूर्णिमा वह पावन अवसर है, जो न केवल इतिहास की एक घटना का स्मरण कराता है, बल्कि उस बोधि की पुनः स्मृति है जिसमें समस्त प्राणियों के कल्याण और निर्वाण का मार्ग निहित है। बौद्ध कालगणना के अनुसार वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध नववर्ष का पावन प्रारम्भ भी माना जाता है।

सांस्कृतिक दृष्टि से, बुद्ध पूर्णिमा भारत और विश्व के अनेक देशों में श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 13 दिसम्बर 1999 को महासभा के 54वें सत्र में बुद्ध पूर्णिमा को औपचारिक रूप से 'अन्तरराष्ट्रीय वेसाख दिवस' के रूप में मान्यता प्रदान की। यह मान्यता इस तथ्य का सशक्त प्रमाण है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी वैश्विक शान्ति, मानवीय मूल्यों, और आध्यात्मिक चेतना के लिए अत्यन्त प्रासंगिक हैं। जब आधुनिक समाज हिंसा, द्वेष, भोगवाद और मानसिक असन्तुलन से जूझ रहा है, तब बुद्ध की वाणी-

'न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं।
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो।।'

(धम्मपद 5)

यहां वैर से वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैर (अहिंसा और क्षमा) से ही वैर शान्त होता है; यही सनातन धर्म है।

-एक दीपस्तम्भ की भांति सम्पूर्ण मानवता को सत्य, संवेदना और संयम के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है।

गौतम बुद्ध ने स्वयं कभी यह दावा नहीं किया कि वे ही एकमात्र बुद्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनसे पहले भी अनेक बुद्ध हो चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। इस प्रकार 'बुद्ध' केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि बोधि प्राप्त सभी महान व्यक्तियों की सार्वभौमिक उपाधि है, जो हर युग में सम्भव है। बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया वह न तो किसी जाति, वर्ग या समय से बंधा है, और न ही केवल एक जीवन के लिए - बल्कि वह सनातन है, "एस धम्मो सनन्तनो"। बुद्ध पूर्णिमा इसी सनातन की पुनः पुष्टि है-एक ऐसा धर्म जो करुणा, सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान के आधार पर टिका हुआ है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व की सम्भावना विद्यमान है, और यह सम्भावना ध्यान, मैत्री, संयम और धम्म के आचरण से परिणाम में फलीभूत हो सकती है।

"बुद्धं सरणं गच्छामि। धम्मं सरणं गच्छामि। संघं सरणं गच्छामि।" ■

जिहाद के हजार रूप और उसका समाधान

डॉ. सचिन कुमार
शोधार्थी

जिहाद शब्द जद्दो-जहद से निकला है जिसका अर्थ होता है जूझना। जूझना शब्द सुन कर बड़ा सकारात्मक सा लगता है लेकिन कोई भी काम पवित्र या मलिन उसके उद्देश्य से होता है। किसी के लिए गरीब बीमारों का इलाज करना या भूखों तक खाना पहुंचाना एक जूझने लायक कार्य है। लेकिन अगर कोई अपनी या अपने समूह की किसी थ्योरी को इंसानियत पर थोपने के उद्देश्य से ऐसा करता है तो वह काम पवित्र नहीं कहा जा सकता। कुछ अब्राहमिक कहे जाने वाले मजहब ऐसा ही मानते हैं जैसे उन्हें उनके ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि पूरी दुनिया में जब उनका ही मजहब होगा तभी उनकी आसमानी किताब का कहना पूरा होगा। वो लोग अपने आपको जितना भी तार्किक बोलते रहें पर वो लोग आपकी किसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए, या आपके अज्ञान पर निशाना लगाते हुए, और साम दाम दंड भेद का बेहतरीन उपयोग करते हुए, आपकी देव प्रतिमा जो केवल एक निमित्त मात्र है को हटाकर, अपनी किसी प्रकार की प्रतिमा रख देंगे। किसी के पंथ में वो एक प्रतिमा है तो किसी के मजहब में वो एक किताब या विचार ही है। इन सब की रक्षा भी इन पंथ के मानने वालों को ही करनी होती है।

आपके धर्म के खिलाफ जद्दो-जहद या कहें कि जिहाद के हजारों रूप हैं। इस जिहाद को लेकर ये लोग इतने बाधित हैं कि अपने आस - पास की हर चीज में ये लोग जिहाद की सम्भावना ही तलाशते रहते हैं। और अब ऐसा वक्त आ गया है कि आपके आस पास जिहाद का ऐसा कोई भी रूप नहीं जो इनसे कहीं रह गया हो। ऐसे में मन में यही संशय उठता है कि इतने जुनून से भरपूर और आर्गनाइज्ड मजहबों से आखिर लड़ा कैसे जाये?

किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसका मूल क्या है? इसके बाद उस बीमारी के साथ साथ उसके मूल का भी उपचार करना होता है। बीमारी के कारणों को जानते हुए पहला सवाल तो यही उठता है कि ये लोग जिहाद के इतने रूप सोच कैसे लेते हैं? क्या ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक, क्रिएटिव या इंटेलीजेंट हैं? दरअसल बात ये है कि ये लोग बचपन से यही कहानियां सुनते आये हैं कि सबको अपने मजहब में लाओ और आखिर में जन्नत पाओ। धर्मांतरण ही शायद इनका वो कर्म है जिसके फल के रूप में जन्नत या स्वर्ग मिलने वाली है। ये भले जो भी विचारधारा का नाम लेते रहें पर इन बातों में इनका असीम अंध-विश्वास है। ऐसे लोग जहां

भी हों दिन-रात बस यही बातें सोचते रहते हैं और फलस्वरूप आपको भी हर जगह अब्राहमिक जिहाद नजर आ जाता है।

अब मुश्किल ये है कि इनका सामना कैसे किया जाये? अनंत दुष्टों का अंत करने वाले हमारे भगवान क्या इस मार्ग पर हमारा पथ प्रदर्शित नहीं कर सकते। दरअसल वो ज्ञान हमारे भगवान हमें पहले ही बता चुके हैं। इसे समय की मार कहें या हमारी अल्प बुद्धि जो हम इस ज्ञान को भूल गए। भगवान् श्री कृष्ण कलयुग से पहले ही हम सबको समझा गए थे कि धर्म स्थापना बहुत जरूरी है, और अधर्मी का सामना करने के लिए नियम तोड़े भी जा सकते हैं। समझिये और सोचिये कि देव और भगवान् को भी रक्त बीज का अंत करने के लिए समायोजित होकर लड़ना पड़ा। सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। बिना मस्तिष्क के हाथ पांव कुछ सकारात्मक नहीं कर सकते और बिना हाथ पांव के मस्तिष्क उतना भी काम का नहीं। इसी के साथ सनातनी इकोसिस्टम की जरुरत भी महसूस होती है। वैसे तो ये धर्म युद्ध हर व्यक्ति तक जाता है लेकिन समायोजित ताकतों से लड़ने के लिए एक ऐसी व्यवस्था भी जरूरी है जो बंद सनातनी आंखों को खोले और खुली हुई आंखों को दिशा दे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि एक मजबूत सनातनी इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो पा रहा। ध्यान से देखें तो किसी भी युद्ध में जो अंत तक फायर कर सकता है उसी के जीतने की सम्भावना अधिक होती है। आज कल के नए वारफेयर में राउंड ऑफ फायरिंग नहीं होते बल्कि नैरेटिव का खेल भी होता है। जिसके पास हर मोर्चे पर लड़ने के लिए अंत तक योद्धा रहते हैं वही जीतता है। लेकिन समस्या ये है कि हम सिर्फ एक राउंड ऑफ फायरिंग से पूरा युद्ध जीत जाना चाहते हैं। कुछ योद्धा आगे आकर लड़ते हैं तो विरोधियों के निशाने पर आ जाते हैं और उनके झुकने के बाद जब और योद्धा आगे नहीं आते तो हार निश्चित हो जाती है। वे बस अगली पंक्ति के कुछ योद्धाओं को हर तरीके से निशाना बनाते हैं और हर तरीके से निपुण और संगठित नजर आते हैं। इससे धर्म स्थापना के उद्देश्य से विमुख समाज का मनोबल भी गिर जाता है और पर्याप्त योद्धा भी पैदा नहीं हो पाते।

अब प्रश्न यह उठता है की सामाजिक चेतना को आखिर कैसे जगाएं? इसका जवाब भी हमें प्रकृति ही देती है। इस प्रकृति में बने रहने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका ऐसा होता है कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। कुछ ही निपुण योद्धा पूरे समाज के लिए काफी होते हैं। लेकिन फिलहाल हमें बहुत सारे योद्धाओं की जरूरत है तो हमें बहुत सारे बीज इस जमीन पर बिखेरने होंगे ताकि जहां भी जमीन थोड़ी सी भी उपजाऊ हो वहां एक योद्धा पैदा हो जाये। लाखों सिपाहियों के लिए हमें करोड़ों बीज इस मिट्टी में डालने होंगे और जितना संभव हो इसे उपजाऊ करने का काम भी करना होगा। गीत बनाने वाले कावड़ यात्रा, गणेश उत्सव, नवरात्रों के लिए शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सरदार भगत सिंह और बिरसा मुंडा जैसे वीर सेनानियों की कहानियों पर गीत बनाएं और उन्हें प्रचारित करें। डिजिटल कंटेंट बनाने वाले ऐसी कहानियों को जिन्दा करें और लोगों तक लेकर जाएं। स्कूल के विद्यार्थियों को स्कूल में वीरों की कहानियां बताई जायें ताकि किसी न किसी मौके पर किसी सनातनी की उपजाऊ मिटटी में कोई वीरता का बीज फूट पड़े।

अब प्रश्न यह उठता है की सामाजिक चेतना को आखिर कैसे जगाएं? इसका जवाब भी हमें प्रकृति ही देती है। इस प्रकृति में बने रहने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका ऐसा होता है कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। कुछ ही निपुण योद्धा पुरे समाज के लिए काफी होते हैं। लेकिन फिलहाल हमें बहुत सारे योद्धाओं की जरूरत है तो हमें बहुत सारे बीज इस जमीन पर बिखेरने होंगे ताकि जहां की भी जमीन थोड़ी सी भी उपजाऊ हो वहां एक योद्धा पैदा हो जाये।

अवश्य ही हमारे पूर्वज बहुत बड़े योद्धा रहे होंगे नहीं तो इतने बड़े बड़े संगठित मजहबों के सामने जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी संस्कृतियां नष्ट हो गयी, वहां हम बैठ कर धर्म स्थापना की बात कर रहे हैं। रक्तबीज की पहचान और धर्म स्थापना का लक्ष्य एक समाज को अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की प्रेरणा और ऊर्जा देता है। समय रहते हर व्यक्ति छोटे स्तर पर ही कुछ बिमारियों का उपचार कर सकता है जिसके लिए उसे किसी राजनीतिक दल या संस्था की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे साधारण जान को भी अपनी कूटनीति से राजा बनाने वाले आचार्य चाणक्य हमें ये सब शिक्षाएं दे चुके हैं। दुराचारी शक्तियों ने हमें भ्रमित करने की बहुत कोशिशें की परन्तु हम आज तक भी लड़ रहे हैं। इन्ही दुविधाओं में भटक कर कुछ लोग इस मातृभूमि को केवल दोहन का साधन बना लेते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन कोई और भूमि आपको अपने पुत्र जैसा प्रेम करे ऐसा जरुरी नहीं है। हमारा उद्देश्य कभी भी दूसरों की भूमि हड़पना नहीं रहा इसलिए हमारे समाज में नैरेटिव का जिहाद करने वाले लोग भी नहीं हैं।

हमारी मातृभूमि जो अपने संसाधनों से हमारा पालन पोषण करती है, हम उसके ऋणी हैं और उसी पर ससम्मान अपना हक भी रखते हैं। सब दुविधाओं का समाधान हमारे आस पास ही है। हमारा इतिहास ही अपने अंदर इतना ज्ञान समेटे हुए है जिसमें कोई भी दुविधा पल भर में घुल कर गायब हो जाये। पर शायद अपने इतिहास और उसमें निहित ज्ञान से दूरी ही हमारी पराजय का कारण बन रही है। लेकिन ये ज्ञान ही है जो हमें सनातन बनाता है। ■

प्राकृतिक आपदा हो या कारसेवा प्रण-प्राण से जुटे स्वयंसेवक

25 जून 1989 को पंजाब के मोगा जनपद में आतंकवादी हमले में 18 स्वयंसेवक बलिदान हो गए। शाखाओं पर होने वाले हमले स्पष्ट कर रहे थे कि स्वयंसेवकों की जागरूकता गतिविधियों से आतंकवादी बौखला गये थे।

डॉ. प्रताप निर्भय सिंह
शोध प्रमुख, प्रेरणा शोध संस्थान न्यास, नोएडा

इस शृंखला में हम बात करेंगे संघ यात्रा के 1985 से 1995 दशक की।

वर्ष 1986 की फरवरी में ईसाई धर्मगुरु पोप का रांची में आगमन हुआ, मध्य प्रदेश से पूर्वोत्तर तक फैला यह वनवासी क्षेत्र ईसाई मिशनरी का कार्य क्षेत्र बना हुआ था। बड़ी संख्या में वनवासी लोगों का मतान्तरण किया जा रहा था। इस अवसर पर ईसाई मिशनरी की योजना एक विराट आयोजन करने की थी जिसके प्रभाव से भोले-भाले जनजातीय बंधुओं का मतान्तरण किया जा सके। वनवासी कल्याण आश्रम के सैंकड़ों स्वयंसेवकों ने गाँव-गाँव जाकर वनवासी बंधुओं को जागरूक किया और परिणामस्वरूप पोप का वह कार्यक्रम हवाई अड्डे के परिसर तक ही सीमित करना पड़ा। इसी वर्ष 'निष्कलंक' पत्रिका द्वारा वनवासी क्षेत्रों में मिशनरियों द्वारा फैलाई गयी झूठी अफवाहों का निराकरण करने हेतु स्वयंसेवक वनवासी क्षेत्रों के भीतर गये। इस कार्य को करते हुए 9 हिन्दू बलिदान हुए।

सिख नरसंहार के बाद सिखों में असुरक्षा की भावना घर कर गयी थी और पंजाब में भी अलगाववादी गतिविधियां जोर पकड़ रही थी। पंजाब के लुधियाना में एक शाखा पर आतंकवादी हमले में दो स्वयंसेवक बलिदान हुए। अलगाववादी गतिविधियों को देखते हुए स्वयंसेवकों ने पूरे देश में इस विषय को लेकर अनेक कार्यक्रम किए। सिख समुदाय में उपजे आक्रोश को लेकर 31 अगस्त 1986 को दिल्ली में देश भर के सिख स्वयंसेवकों का बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें समाज के दोनों वर्गों के बीच एकता को सुदृढ़ करने और अलगाववादियों के षड्यंत्रों को विफल करने पर चर्चा हुई। 11 मई को दिल्ली में 10 अखिल भारतीय श्रमिक संगठनों का राष्ट्रीय एकात्मता सम्मलेन हुआ और 9 अगस्त को इसी प्रकार के एकात्मता सम्मलेन प्रान्तों की राजधानियों में भी हुए। देश की सीमाओं से घुसपैठ रोकने में सरकार असफल रही थी, इस विषय और केंद्र की पंजाब को लेकर नीति के विरोध में भाजपा ने एक बड़ा जन आह्वान किया जिसमें राष्ट्रहित विषय को देखते हुए संघ के स्वयंसेवकों ने भी इसे सफल बनाने का प्रयास किया परिणामस्वरूप 23 फरवरी 1987 को दिल्ली में 5 लाख से अधिक लोगों का जनसम्मेलन हुआ। पंजाब की बिगडती स्थिति को संभालने हेतु 28 फरवरी से 9 मार्च तक विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा सद्भाव यात्रा का आयोजन किया गया। 400 साधुजनों के सद्भावना मंडल ने समूचे पंजाब के 42 स्थानों की यात्रा की। 17 मार्च 1987 को राष्ट्रीय सिख संगत का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में हुआ। 25 जून 1989 को पंजाब के मोगा जनपद में आतंकवादी हमले में 18 स्वयंसेवक बलिदान हो गए। शाखाओं पर होने वाले हमले स्पष्ट कर रहे थे कि स्वयंसेवकों की जागरूकता गतिविधियों से आतंकवादी बौखला गये थे।

इसी वर्ष पूज्य बालासाहब देवरस जी के आह्वान पर देश भर के सैंकड़ों स्थानों पर गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस मनाया गया। 25 नवम्बर 1987 को गुरु नानक जन्म दिवस पर 'शहीद सन्देश ज्योति यात्रा' अमृतसर में गुरु तेगबहादुर के जन्म स्थल 'गुरु का महल' से प्रारंभ हुई और पंजाब-हरियाणा का चक्कर लगाते हुए 10 दिसम्बर 1987 को उनके बलिदान स्थल गुरुद्वारा शीशगंज पर समाप्त हुई।

1987 में होन्नासान्द्रा वेण्कटरमइया शेषाद्री जी सरकार्यवाह चयनित हुए। 6 दिसम्बर को सरसंघचालक श्री बाला साहब देवरस डॉ. भीम राव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने हेतु चैत्य भूमि गये। परम पूज्य डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष 1988 में स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय स्तर पर जन सम्पर्क अभियान चलाकर एक लाख पचास हजार परिवारों में सम्पर्क किया; 76,000 से अधिक बैठकें की और सेवा निधि के रूप में 11 करोड़ रूपये समाज से एकत्र किए।

भारत के पूर्वोत्तर में राष्ट्रविरोधी तत्व स्थानीय निवासियों को भ्रमित कर उन्हें अपने निहित स्वार्थों के लिए उपयोग कर रहे थे, संघ के स्वयंसेवक एवं प्रचारक उस दुर्गम क्षेत्र में जाकर वहां की समस्याओं पर काम कर रहे थे, फरवरी 1988 को इन्हीं प्रयासों से हरेका परिषद् का वार्षिक सम्मेलन हुआ जिसमें प्रमाणिक स्वीकृति बनी कि हरेका जनजाति वास्तव में हिन्दू हैं।

एक ओर संघ के स्वयंसेवक मतान्तरण के विरूद्ध चट्टान बनकर खड़े थे तो दूसरी और पंजाब और पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों के रास्ते में भी दीवार बनकर डटे थे, इसी समय देश में हिन्दू अस्मिता और हिन्दू आस्था के केंद्र श्री राम जन्मभूमि को लेकर भी संघ परिवार निरंतर सक्रिय था। संघ यह अनुभव कर रहा था कि अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि पर मंदिर का निर्माण मात्र एक धर्म स्थल का विषय नहीं है, यह विषय सम्पूर्ण हिन्दू समाज की आस्था और अस्मिता से जुड़ा है। तृतीय सरसंघचालक बालासाहब देवरस ने पूर्व में ही स्वयंसेवकों को कहा था कि श्री राम मंदिर के विषय को लेकर तीन दशकों की लड़ाई के लिए तैयार रहें। इसलिए इस विषय को लेकर संघ बहुत गंभीर था। वर्ष 1990 की 30 अक्टूबर को श्री राम जन्म भूमि अयोध्या में कारसेवा हुई। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद यह कारसेवा की गई। स्वयंसेवकों ने इस विषय को पूरे भारत के घर-घर पहुंचाया, श्री राम जन्म भूमि आन्दोलन में संघ के आनुषांगिक संगठनों सहित बड़ी संख्या में जनमानस उमड़ पड़ा। श्री राम जन्म भूमि से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों में संघ के लाखों स्वयंसेवक प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति भाव के साथ जुटे। 1987 में रामनवमी को उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व बंद, 1989 प्रयागराज कुम्भ अवसर पर तीसरी धर्म संसद में श्री राम मंदिर शिला न्यास संकल्प, देश भर में 275 लाख गांवों और विश्व के 26 देशों से श्री राम शिलाएं अयोध्या पहुंचाना जैसी अनगिनत गतिविधियों में संघ के लाखों स्वयंसेवक जनमानस के साथ जुटे।

1989 प्रयागराज कुम्भ अवसर पर तीसरी धर्म संसद में श्री राम मंदिर शिला न्यास संकल्प, देश भर में 275 लाख गांवों और विश्व के 26 देशों से श्री राम शिलाएं अयोध्या पहुंचायी गयीं।

1987-88 में गुजरात राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा। लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। 18,275 गाँवों में से 15,000 से अधिक गाँवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया था। स्वयंसेवकों ने 'दुष्काल पीड़ित सहायता समिति' स्थापित कर 1,45,310 पशुओं के लिए 123 शिविर खोले, 21,000 गौवंश को काल के ग्रास बनने से बचाया। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय किसानों के सहयोग प्रकल्प से 2 करोड़ 40 लाख किलोग्राम हरे चारे का उत्पादन किया। महाराष्ट्र के स्वयंसेवकों ने भी नाम मात्र की दर पर 2000 मीट्रिक टन घास के चारे का प्रबंध किया। 405 निःशुल्क छाछ वितरण केंद्र खोले गये, 5000 से अधिक परिवारों को कई माह तक निःशुल्क अनाज दिया गया। 16,800 स्वयंसेवकों ने माताओं बहिनों के सहयोग से 2,10,000 परिवारों से 262 टन पौष्टिक रोटी-सुखडी का संग्रह कर 65,000 के आस-पास लोगों को इसका लाभ पहुंचाया। संघ कार्य पद्धति और सेवा, समर्पण और सामाजिक समरसता का यह अनुपम उदाहरण देखकर पूरा देश हतप्रभ था। संघ के स्वयंसेवकों का ऐसा ही सेवा भाव 8 जुलाई 1988 को केरल की रेल दुर्घटना में दिखा जहां पानी में डूबे हुए बुरी तरह सड़ चुके दुर्गन्धयुक्त शवों को निकालने में स्वयंसेवक जुटे रहे, जिसे स्थानीय समाचार पत्रों ने भी छापा। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में भयंकर भूकंप आया 20,000 से अधिक घर धराशायी हो गये, तब भी स्वयंसेवकों ने बुरी तरह प्रभावित 500 गांवों को चिह्नित कर आपदाग्रस्त अपने बंधु-बांधवों को भोजन, चिकित्सा, धन उपलब्ध कराने, घरों और मंदिरों के पुनर्निर्माण में युद्ध स्तर पर कार्य किया। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर के विनाशकारी भूकंप में भी संघ के स्वयंसेवक बड़े स्तर पर राहत कार्य में जुटे और देशभर से तथा विदेशों से भी धन एकत्रीकरण कर राहतकार्य किया। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों द्वारा अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा ढहा दिया गया। इस घटना को लेकर संघ पर 10 दिसम्बर 1992 को तीसरा प्रतिबन्ध लगाया गया। 1993 में न्यायालय ने संघ पर प्रतिबन्ध को अन्यायपूर्ण बताया जिसके फलस्वरूप 4 जून 1993 को संघ पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया।

इसी वर्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद् का गठन किया गया। 11 मार्च 1994 को रज्जू भैय्या संघ के चतुर्थ सरसंघचालक बने। इसी वर्ष अखिल भारतीय सेवा विभाग और लघु उद्योग भारती भी स्थापित हुए।

इस यात्रा का पड़ाव यहीं लेते हैं, अगली शृंखला में बात करेंगे संघ यात्रा के अगले दशक की...।

■

बीमारू से विकसित राज्य की तरफ बढ़ता उत्तर प्रदेश

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
ब्लॉगर एवं शिक्षाविद्

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और इसे वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में श्री आदित्यनाथ योगी को सौंपा गया था। किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना में यह सबसे कठिन काम था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपी आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा राज्य था, लेकिन सामाजिक रूप से यह और भी बदतर था, जहाँ जबरन वसूली, जबरदस्ती, अपहरण, जमीन जिहाद, लव जिहाद, बलात्कार, डर के कारण कोई बड़ा निवेश नहीं, मध्यम और गरीब वर्गों का माफिया शोषण और वोट बैंक की राजनीति ने राज्य को सबसे खराब स्थिति में डाल दिया था। जब सीएम योगी ने पदभार संभाला, तो कई बुद्धिजीवियों और विपक्षी सदस्यों ने उनकी वेशभूषा और साधुता का मजाक उड़ाया, साथ ही इस विचार का भी मजाक उड़ाया कि एक संन्यासी सीएम के रूप में कैसें काम कर सकता है? सीएम योगी जैसे संन्यासी के लिए यह कठिन काम, जिनकी कोई वंशवादी पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन एक मजबूत राष्ट्रवादी मानसिकता और कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं है, ने पिछले आठ वर्षों के जन-समर्थक, विकास-समर्थक शासन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बीमारू राज्य अब आर्थिक रूप से दूसरा सबसे विकसित राज्य है, तथा कानून-व्यवस्था में आमूल-चूल सुधार हुआ है, जिसकी किसी ने इतने कम समय में कल्पना भी नहीं की थी।

यदि कोई महान प्रशासक के रूप में उनकी क्षमताओं का पता लगाना चाहता है, तो बस प्रयागराज में हाल ही में संपन्न महाकुंभ का विश्लेषण करें। केवल 45 दिनों में, 66 करोड़ व्यक्तियों ने दौरा किया, जो अमेरिका और कई यूरोपीय देशों की आबादी से अधिक था। यहां तक कि विकसित देश भी इस तरह के असामान्य, अप्रत्याशित आयोजन की सफलतापूर्वक कल्पना नहीं कर सकते। एक संन्यासी सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और धर्म के पालन के मामले में चमत्कार कर सकता हैं। विभिन्न विद्वानों, बुद्धिजीवियों और विश्वविद्यालयों को सीएम योगी की विशेषताओं, आंतरिक और बाहरी ताकत के बारे में जानने के लिए महाकुंभ पर गहन शोध करना चाहिए। उन्होंने किसानों, महिलाओं और व्यापारियों के शत्रु को उनकी राजनीतिक और अवैध रूप से अर्जित धन शक्ति की अनदेखी करके उन्हें कानून के कटघरे तक पहुंचाने का कार्य किया है। जैसा कि उन्होंने दुनिया को सभी की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया, निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे यूपी दूसरे नंबर की आर्थिक स्थिति में पहुंच गया। उन्होंने वोट पाने के लिए प्रतिद्वंद्वी दलों के एकतरफा धर्मनिरपेक्षता के फर्जी एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। यदि वह अगले दस वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश 2030 तक भारत की 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

योगी आदित्यनाथ की सरकार की प्रमुख उपलब्धियां-

1. ग्रामीण विकास और कल्याण पहल : शौचालय निर्माण : स्वच्छ भारत अभियान ने 2.62 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए हैं, जिससे ग्रामीण घरों में स्वच्छता आई है। मुफ्त राशन वितरण : महामारी के दौरान, सरकार ने लगभग 14.7 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया, जिससे गरीबों की तकलीफें कम हुईं। उज्ज्वला योजना : 1.86 करोड़ से अधिक उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं, जिससे घरों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा मिला है। सभी के लिए आवास : पिछले आठ वर्षों में वंचितों के लिए 56 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

2. मजबूत कानून और व्यवस्था ढांचा : पुलिस सुधार : सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना, साथ ही विशेष सुरक्षा बल

(UPSSF) के गठन से कानून प्रवर्तन दक्षता में सुधार हुआ है। अपराध का मुकाबला : सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जिसमें 222 से अधिक कुख्यात अपराधी मारे गए और मुठभेड़ों में 8,000 से अधिक घायल हुए। महिला सुरक्षाः महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी- रोमियो स्क्वॉड और तीन महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की गई। इसके अलावा, महिलाएं अब रात के समय पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) का इस्तेमाल कर सकती हैं।

3. स्मार्ट सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट : योगी सरकार ने शहरी विकास का नेतृत्व किया है, 125 नई नगर पालिकाओं की स्थापना की है और 17 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदल दिया है। मेट्रो कनेक्टिविटीः नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे प्रमुख शहरों ने मेट्रो सेवाओं को लागू किया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन में काफी सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटः छह एक्सप्रेसवे के निर्माण और 11 और के लिए जारी परियोजनाओं के साथ, राज्य की कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर हवाई अड्डा, साथ ही हवाई अड्डों के मामले में देश के शीर्ष के रूप में राज्य की स्थिति महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

4. कृषि और किसानों पर ध्यान केन्द्रित करें: कृषि विकास : उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 13.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। राज्य वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फल और सब्ज़ी उत्पादक है, जो प्रति वर्ष 4 करोड़ टन से अधिक उत्पादन करता है। किसानों को पीएम कुसुम परियोजना के तहत 76,189 सौर पंप मिले हैं, जिससे खेती के संचालन को और अधिक टिकाऊ बनाया जा सकेगा। बाजार आधुनिकीकरण : 27 नई मंडियों (बाजारों) का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति हुई है।

5. बेहतर ऊर्जा अवसंरचना : सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 घंटे, तहसील क्षेत्रों के लिए 22 घंटे और जिला मुख्यालयों के लिए 24 घंटे बिजली प्रदान करती है। इसके अलावा, अयोध्या को सोलर सिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे में बदलने के लिए चल रहे प्रयास अक्षय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सब्सिडी और सुविधाएँ : निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को उनके बिजली बिलों पर 100 प्रतिशत छूट मिलती है, और 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था लागू की गई है।

6. सांस्कृतिक और धार्मिक विकास: धार्मिक पर्यटन वृद्धि : राज्य एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है, कुंभ मेले के दौरान 66.3 करोड़ से अधिक भक्तों का स्वागत करता है और लगातार शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में रैंकिंग करता है। तीर्थ स्थल विकास : उल्लेखनीय उपलब्धियों में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी की देव दीपावली का विस्तार और अयोध्या में विशाल दिवाली समारोह का समन्वय शामिल है।

यदि वह अगले दस वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश 2030 तक भारत की 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा। है।बीमारू राज्य अब आर्थिक रूप से दूसरा सबसे विकसित राज्य है, तथा कानून-व्यवस्था में बहुमूल्य सुधार हुआ है, जिसकी किसी ने इतने कम समय में कल्पना भी नहीं की थी।

7. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार : स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने लगभग 49 लाख परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज की पेशकश की है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कोई भी पीछे न रहे। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तारः 5,000 नए स्वास्थ्य उप-केंद्रों के विकास के साथ-साथ सभी 75 जिलों में मुफ्त डायलिसिस सुविधाओं के प्रावधान ने स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाई है।

8. आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास : उत्तर प्रदेश अब देश के मोबाइल विनिर्माण उत्पादन का 45 प्रतिशत हिस्सा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश : औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उत्तर प्रदेश धीरे-धीरे उत्तरी औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जो प्रमुख निवेश को आकर्षित कर रहा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री ने 2017 से 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि पर प्रकाश डाला। राज्य में आज 96 लाख संपन्न एमएसएमई व्यवसाय हैं, जो न केवल महत्वपूर्ण रोजगार संभावनाएं प्रदान करते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश को एक व्यापक निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। उन्होंने दावा किया, 'छह वर्षों के दौरान, राज्य का निर्यात दोगुना हो गया है।'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भू-माफिया विरोधी टीम द्वारा भू-माफियाओं पर कार्रवाई से 64,000 हेक्टेयर भूमि मुक्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने से पहले 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का सालाना बजट सिर्फ 2 ट्रिलियन रुपये था, जो अब बढ़कर 7.5 ट्रिलियन रुपये हो गया है। 2023–24 में जीएसडीपी 12 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 26 ट्रिलियन रुपये हो गई और मार्च 2025 तक 32 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी, जो पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के बाद सातवें स्थान पर थी, अब देश की दूसरी सबसे बड़ी है। यूपी में वर्तमान में 21 एयरपोर्ट हैं, जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं और देश के आधे एक्सप्रेसवे हैं।

अपने राज्य और राष्ट्र के गौरव को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य वाले महान चरित्र को सभी के बढ़ते समर्थन की आवश्यकता है। आइये हम सब मिलकर इस अद्भुत संन्यासी और मुख्यमंत्री के पीछे खड़े होकर राज्य और देश को नंबर वन बनाएं। ■

लोकतंत्र की राह पर अलगाववादी संगठन

विनीत उत्पल
वरिष्ठ पत्रकार

कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू एवं कश्मीर से अलगाववाद को खत्म कर दिया है। हुर्रियत से जुड़े दो संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। मैं भारत की एकता को मजबूत करने की दिशा में इस कदम का स्वागत करता हूँ और ऐसे समूहों से आग्रह करता हूँ कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म कर दें। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत के निर्माण के दृष्टिकोण की एक बड़ी जीत है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का 25 अप्रैल, 2025 का यह ट्वीट जम्मू-कश्मीर के नए अध्याय की ओर इशारा करता है।

राज्य में लोकतंत्र की ऐसी बयार बह रही है कि हर कोई लोकतंत्र की राह पर चल पड़ा है। हर तरह की अलगाववादी आवाजें खत्म होकर मुख्यधारा की राजनीति से जुड़कर राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने को तत्पर हैं। पिछले पांच वर्षों में जिस तरह से जम्मू-कश्मीर राज्य की तरक्की हुई है, विकास के नए मॉडल खड़े किये गए हैं, शांति की बहार आई है, आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है, ऐसे में अलगाववादी ताकतें कमजोर हुई हैं और उनका नामलेवा कोई नहीं रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ने मिलकर अलगाववादी ताकतों की रीढ़ तोड़कर रख दी है और इसका फायदा यहाँ के आमलोगों को मिल रहा है।

वर्ष 2019 में धारा-370 के खत्म होने और वर्ष 2024 में जम्मू-कश्मीर में हुए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव ने राज्य में लोकतंत्र की नई कहानी लिखी है। अलगाववादी संगठन भी अब लोकतंत्र की राह पर चलने को आतुर हैं। एक वक्त था जब राज्य के तमाम अलगाववादी संगठन राज्य में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करते थे और मतदाताओं को धमकी देते थे। इसके विपरीत वर्ष 2024 में तमाम अलगाववादी नेताओं ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में या किसी राजनीतिक दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाया।

इंडियन एक्सप्रेस के चार सितम्बर, 2024 के अंक में "सेपेरटिस्ट लीडर्स इंटर पोल फ्रे, जेएंडके पार्टीज वेलकम मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी" नामक बशरत मसूद लिखते हैं, "चालीस वर्ष बाद प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर की चुनावी प्रक्रया में हिस्सा ले रहा है और स्वतंत्र रूप से अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है।" वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के 10 अक्टूबर, 2024 के अंक में एम. सलीम पंडित अपने आलेख "लेशन फॉर सेपेरटिस्ट : नो वन विंस इन डिविसिव पॉलिटिक्स" में लिखते हैं, "अक्टूबर, 2024 में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में कई पूर्व आतंकवादी, अलगाववादी और प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के सदस्य एवं उनके संबंधी स्वतंत्र रूप से या किसी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे।"

गौरतलब है कि जमात-ए-इस्लामी से जुड़े रहे 10 पूर्व सदस्य राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में थे। प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के कई नेताओं ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सितंबर, 2024 को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जमात के पूर्व महासचिव सयार अहमद रेशी ने कुलगाम से चुनाव लड़ा था। जमात-ए-इस्लामी के पूर्व सदस्य तलत मजीद अली पुलवामा से चुनाव मैदान में थे।

उन दिनों मीडिया में उनका वह बयान काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह तो बस शुरुआत है। हमने काफी चुनाव प्रचार किया लेकिन इसका परिणाम भविष्य में दिखाई देगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार के मुताबिक पूर्व के कई आतंकवादियों और अलगाववादी नेताओं ने मिलकर 'तहरीक-ए-आवामी' नामक राजनीतिक दल का निर्माण किया। इसके जरिये उन्होंने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, जैनापोरा और देवसर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में अपनी चुनावी भागीदारी सुनिश्चित की। उत्तरी कश्मीर के बैरवा, लंगटे, बांदीपुरा, बारामुला, सोपोर और राफियाबाद जैसे जगहों पर भी चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया। वर्ष 2001 में संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु का भाई एजाज अहमद गुरु सोपोर विधानसभा से चुनाव लड़ा था।

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता मौलवी सर्जन अहमद वागे ने गांदरबल के बीरवाह सीट से नामांकन किया था। उन्हें आजादी चाचा और कश्मीर के पाइड पाइपर के नाम से जाना जाता है। राज्य विधानसभा के दौरान ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता जफर हबीब डार अलगाववाद और आजादी के नारे की राजनीति को छोड़ मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा था जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और विकास के वातावरण को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। उस वक्त सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उनका अपनी पार्टी में स्वागत किया था और श्रीनगर सेन्ट्रल शाल्टेंग से चुनावी मैदान में थे। मालूम हो कि जफर हबीब डार कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाली हुर्रियत कान्फ्रेंस में दूसरी पंक्ति के नेताओं में गिने जाते रहे हैं। उस समय उनका यह बयान काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था, '1991 में मैं अकेला आतंकवादी नहीं था। उस वक्त पूरा कश्मीर आतंकवादी था। लगता था कि हथियार की ताकत पर भारत से आजादी ले लेंगे। मैं ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गया। लौटने के कुछ महीने बाद ही पकड़ लिया गया।' चुनावी दौर में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हम लोग चुनावी प्रक्रिया के जरिये ही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

जेकेएलएफ के पूर्व कमांडर मोहम्मद फारूक खान उर्फ सैफुल्लाह हब्बा कदल निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार के मुताबिक, यह 1989 में हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गया था। वर्ष 2018 में सैफुल्लाह ने भाजपा के टिकट से श्रीनगर नगर निगम का चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान उन्होंने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा भी था कि उस दौर में हर कोई बंदूक उठा रहा था। हम लोग कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंट के जरिये दिग्भ्रमित हो रहे थे। ऐसे अलगाववादी रहे नेताओं की सूची काफी लंबी है जो भारतीय लोकतंत्र में खुली साँस ले रहे हैं और लोकतंत्र का नया अध्याय लिख रहे हैं।

वर्ष 2019 में धारा-370 के खत्म होने और वर्ष 2024 में जम्मू-कश्मीर में हुए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव ने राज्य में लोकतंत्र की नई कहानी लिखी है और लोकतंत्र की राह पर अलगाववादी संगठन आए हैं। एक वक्त था जब राज्य के तमाम अलगाववादी संगठन राज्य में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करते थे और मतदाताओं को धमकी देते थे।

माना जाता है कि बांदीपोरा से ताल्लुक रखने वाले उस्मान मजीद भी पूर्व अलगाववादी रहे हैं। वर्ष 2024 से पहले छह चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं जिनमें दो में उन्हें जीत भी हासिल हुई है। वहीं, गुलजार अहमद डार हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। वर्ष 1994 में आत्मसमर्पण करने के बाद कुलगाम के दमहल हांजी पोरा विधानसभा सीट से पीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे शेख फिदा हुसैन कुलगाम के देवसर से चुनाव लड़ा था और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वे पूर्व पुलिस कांस्टेबल रहे हैं, जिन्हें आतंकवादी के साथ मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था और नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर में ऐसे भी कई अलगाववादी नेता हैं जो जेल में बंद रहते हुए या बाहर निकलने पर लोकतंत्र को स्वीकारा और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद इंजीनियर रशीद का लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद के बेटे अब्दुल रशीद ने चुनाव प्रचार किया और उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट से यह लोकसभा चुनाव जीते। पिछले 70 वर्षों में जम्मू-कश्मीर राज्य के लोग जिन हालातों में जी रहे थे, वर्ष 2019 के बाद उनके हालातों में व्यापक परिवर्तन आये हैं। राज्य में सड़कों की स्थिति काफी सुधरी है, शांति एवं अमन-चैन बढ़ा है, युवाओं को नौकरियों सहित तमाम क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हुआ है, ऐसे में आतंकवाद एवं अलगाववाद से जुड़े लोगों को यह लगने लगा कि उनकी, उनके परिवार की तरक्की, उनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के हाथ में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये पूरी दुनिया में एक नए ताकत के रूप में उभरा है, जाहिर है यह अलगाववादी ताकतों को कमजोर और नेस्तनाबूद करने की प्रक्रिया में अहम् भूमिका निभाया है। ■

भारत को विश्व गुरु बनाने में सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका

प्रहलाद सबनानी
सेवानिवृत्त पूर्व उप प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

प्राचीनकाल में भारत विश्व गुरु रहा है इस विषय पर अब कोई शक की गुंजाईश नहीं रही है क्योंकि अब तो पश्चिमी देशों द्वारा पूरे विश्व के प्राचीन काल के संदर्भ में की गई रिसर्च में भी यह तथ्य उभरकर सामने आ रहे हैं। भारत क्यों और कैसे विश्व गुरु के पद पर आसीन रहा है, इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि भारत में हिंदू सनातन संस्कृति के नियमों के आधार पर भारतीय नागरिक समाज में अपने दैनंदिनी कार्य कलाप करते रहे हैं। साथ ही, भारतीयों के डीएनए में आध्यात्म पाया जाता रहा है जिसके चलते वे विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले अपने कार्यों को धर्म से जोड़कर करते रहे हैं। लगभग समस्त भारतीय, काम, अर्थ एवं कर्म को भी धर्म से जोड़कर करते रहे हैं। काम, अर्थ एवं कर्म में चूंकि तामसी प्रवृत्ति का आधिक्य बहुत आसानी से आ जाता है अतः इन कार्यों को तासमी प्रवृत्ति से बचाने के उद्देश्य से धर्म से जोड़कर इन कार्यों को सम्पन्न करने की प्रेरणा प्राप्त की जाती है। जैसे, भारतीय शास्त्रों में काम में संयम रखने की सलाह दी जाती है तथा अर्थ के अर्जन को बुरा नहीं माना गया है परंतु अर्थ का अर्जन केवल अपने स्वयं के हित के लिए करना एवं इसे समाज के हित में उपयोग नहीं करने को बुरा माना गया है। इसी प्रकार, दैनिक जीवन में किए जाने वाले कर्म भी यदि धर्म आधारित नहीं होंगे तो जिस उद्देश्य से यह मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी।

प्राचीनकाल में भारत में राजा का यह कर्तव्य होता था कि उसके राज्य में निवास कर रही प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और यदि किसी राज्य की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो वह नागरिक अपने कष्ट निवारण के लिए राजा के पास पहुंच सकता था। परंतु, जैसे जैसे राज्यों का विस्तार होने लगा और राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो उस राज्य में निवास कर रहे नागरिकों के कष्टों को दूर करने के लिए धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन भी आगे आने लगे एवं नागरिकों के कष्टों को दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगे। समय के साथ साथ धनाडय वर्ग भी इस पावन कार्य में अपनी भूमिका निभाने लगा। फिर, और आगे के समय में एक नागरिक

दूसरे नागरिक की परेशानी में एक दूसरे का साथ देने लगे। परिवार के सदस्यों के साथ पड़ौसी, मित्र एवं सहृदयी नागरिक भी इस प्रक्रिया में अपना हाथ बंटाने लगे। इस प्रकार प्राचीन भारत में ही व्यक्ति, परिवार, पड़ौस, ग्राम, नगर, प्रांत, देश एवं पूरी धरा को ही एक दूसरे के सहयोगी के रूप में देखा जाने लगा।

वर्तमान काल में लगभग समस्त देशों में चूंकि समस्त व्यवस्थाएं साम्यवाद एवं पूंजीवाद के नियमों पर आधारित हैं, जिनके अनुसार, व्यक्तिवाद पर विशेष ध्यान दिया जाता है और परिवार तथा समाज कहीं पीछे छूट जाता है। केवल मुझे कष्ट है तो दुनिया में कष्ट है अन्यथा किसी और नागरिक के कष्ट पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। जैसे यूरोपियन देश उनके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर पूरे विश्व का आह्वान करते हुए पाए जाते हैं कि जैसे उनकी समस्या पूरे विश्व की समस्या है। परंतु जब इसी प्रकार की समस्या किसी अन्य देश पर आती है तो यूरोपियन देश उसे अपनी समस्या नहीं मानते हैं। यूरोपियन देशों में पनप रही आतंकवाद की समस्या पूरे विश्व में आतंकवाद की समस्या मान ली जाती है। परंतु, भारत द्वारा झेली जा रही आतंकवाद की समस्या यूरोप के लिए आतंकवाद नहीं है। यह पश्चिमी देशों के डीएनए में है कि विकास की राह पर केवल मैं ही आगे बढ़ूँ, जबकि भारतीयों के डीएनए में है कि सबको साथ लेकर ही विकास की राह पर आगे बढ़ा जाय। यह भावना भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों में भी कूट-कूट कर भरी है। इसी तर्ज पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। संघ के लिए राष्ट्र प्रथम है, और भारत में निवास करने वाले हम समस्त नागरिक हिंदू हैं, क्योंकि भारत में निवासरत प्रत्येक नागरिक से सनातन संस्कृति के संस्कारों के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। भले ही, हमारी पूजा पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु संस्कार तो समान ही रहने चाहिए।

आज संघ कामना कर रहा है कि पूरे विश्व में निवास कर रहे प्राणी शांति के साथ अपना जीवन यापन करें एवं विश्व में लड़ाई झगड़े का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अतः हिंदू सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में फैलाव, इस धरा पर निवास कर रहे समस्त प्राणियों के हित में है। इस संदर्भ में आज हिंदू सनातन संस्कृति को किसी भी प्रकार का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो विकसित देशों द्वारा की जा रही रिसर्च में भी इस प्रकार के तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं कि भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है और यह हिंदू सनातन संस्कृति के अनुपालन से ही सम्भव हो सका है। अतः आज विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हिंदू सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने की आवश्यकता है। परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने

आज संघ कामना कर रहा है कि पूरे विश्व में निवास कर रहे प्राणी शांति के साथ अपना जीवन यापन करें एवं विश्व में लड़ाई झगड़े का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अतः हिंदू सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में फैलाव, इस धरा पर निवास कर रहे समस्त प्राणियों के हित में है।

भी संघ की स्थापना के समय कहा था कि संघ कोई नया कार्य शुरू नहीं कर रहा है, बल्कि कई शताब्दियों से चले आ रहे काम को आगे बढ़ा रहा है। संघ का यह स्पष्ट मत है कि धर्म के अधिष्ठान पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण संगठित सामूहिक जीवन के आधार पर ही हिंदू समाज अपने वैश्विक दायित्व का निर्वाह प्रभावी रूप से कर सकेगा। अतः हमारा कर्तव्य है कि सभी प्रकार के भेदों को नकारने वाला समरसता युक्त आचरण, पर्यावरण पूरक जीवनशैली पर आधारित मूल्याधिशिष्ठ परिवार, स्व बोध से ओतप्रोत और नागरिक कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्ध समाज का निर्माण करें एवं इसके आधार पर समाज के सब प्रश्नों का समाधान, चुनौतियों का उत्तर देते हुए भौतिक समृद्धि एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण समर्थ राष्ट्रजीवन खड़ा करें। संघ का यह भी स्पष्ट मत है कि हिंदुत्व की रक्षा और उसका सशक्तिकरण ही विश्व में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 99 वर्षों की साधना के बाद संघ का प्रभाव देश में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और राष्ट्र का कायाकल्प हो रहा है। राष्ट्रीयता, स्व-पहचान, स्वदेशी भावना और हिंदू संस्कृति को ऊर्जा के स्त्रोतों के रूप में पुनर्परिभाषित करने के प्रयास तेज हो चुके हैं।

उक्त संदर्भ में संघ द्वारा नवम्बर 2025 से जनवरी 2026 के दौरान किन्हीं तीन सप्ताह तक बड़े पैमाने पर घर घर सम्पर्क अभियान की योजना बनाई गई है, इसका विषय "हर गांव, हर बस्ती, हर घर" होगा। साथ ही, संघ द्वारा समस्त मंडलों और बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में एकता और सद्भाव, राष्ट्र के विकास में सभी का योगदान और पंच परिवर्तन में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, का संदेश दिया जाएगा। प्रत्येक खंड एवं नगर स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, इन बैठकों में एक साथ मिलकर रहने पर बल दिया जाएगा। इन बैठकों का उद्देश्य सांस्कृतिक आधार और हिंदू चरित्र को खोए बिना आधुनिक जीवन जीने का संदेश देना होगा। प्रयागराज में हाल ही में सम्पन्न महाकुम्भ में समस्त क्षेत्रों में लोग एक साथ आए थे, किसी को भी किसी नागरिक की जाति, मत, पंथ, आदि की जानकारी नहीं थी। विभिन्न नगरों के संभ्रांत नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसी प्रकार, युवाओं के लिए भी राष्ट्र निर्माण, सेवा गतिविधियां एवं पंच परिवर्तन पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना विभिन्न प्रांतों द्वारा तैयार की जा रही है।

आज भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों को भी आगे आकर मां भारती को एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। ■

गर्मियों का प्रकोप, बचाव एवं सतर्कता

डॉ. संजय तेवतिया
चिकित्सक

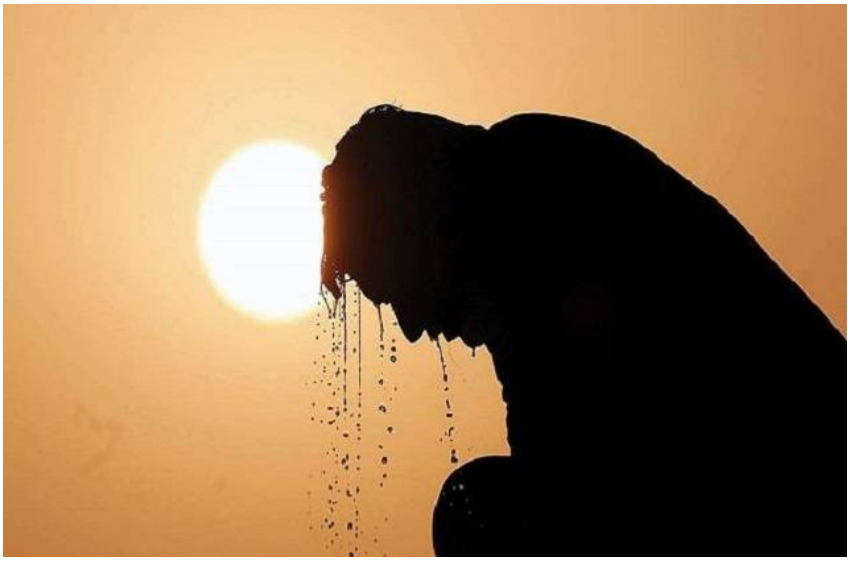

गर्मियों का प्रकोप आजकल बढ़ते हुए तापमान के कारण एक गंभीर समस्या बन चुका है। अत्यधिक गर्मी से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उच्च तापमान के कारण न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में विकृति आती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। गर्मी के प्रकोप से बचाव और सतर्कता की आवश्यकता इसलिए और भी बढ़ जाती है, ताकि हम इस मौसम को सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से पार कर सकें। गर्मी का अत्यधिक प्रभाव शरीर पर कई तरीके से पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव है गर्मी के कारण शरीर का तापमान बढ़ना। जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे डीहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और हीट एक्सॉशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं के कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, और शरीर के अंगों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा गर्मी से रक्तचाप बढ़ सकता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। गर्मी में प्रदूषण की स्थिति भी ज्यादा बिगड़ जाती है। जिससे सांस संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा, एलर्जी और अन्य श्वांस रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम गर्मी के दौरान इन सभी स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के उपायों को अपनाएं। गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी बहुत तेजी से होती है, इसलिए पानी का नियमित सेवन करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ताजे फलों का रस, नारियल पानी और शरबत जैसे तरल पदार्थों का सेवन भी शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इससे डीहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। गर्मी में हल्के और सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि ये कपड़े हवा को शरीर तक पहुंचने देते हैं और पसीने को सोखने में मदद करते हैं। इससे शरीर ठंडा रहता है और गर्मी के प्रभाव से बचाव होता है। दिन के गर्म घण्टों में धूप से बचना बहुत जरूरी है। खासकर दोपहर के समय में जब सूरज की तपिश अधिक होती है। अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो हमेशा धूप से बचने के लिए हेडकवर (सिर पर टोपी या छाता) का उपयोग करें। धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन क्रीम का भी उपयोग करें।

गर्मी के मौसम में व्यायाम करते समय सावधानी बरतें। अधिक गर्मी में व्यायाम करने से शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। इसलिए सुबह या शाम के समय व्यायाम करें, जब तापमान कम होता है। यदि शरीर में अत्यधिक गर्मी महसूस हो, तो ठंडे पानी से स्नान करें या चेहरे, हाथों और पैरों पर ठंडे पानी के छींटें मारे। इससे शरीर का तापमान कम होगा और आराम मिलेगा।

गर्मी के मौसम में व्यायाम करते समय सावधानी बरतें। अधिक गर्मी में व्यायाम करने से शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। इसलिए सुबह या शाम के समय व्यायाम करें, जब तापमान कम होता है। यदि शरीर में अत्यधिक गर्मी महसूस हो, तो ठंडे पानी से स्नान करें या चेहरे, हाथों और पैरों पर ठंडे पानी के छींटें मारे। इससे शरीर का तापमान कम होगा और आराम

मिलेगा। ताजे फल और सब्जियां गर्मी में शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं। जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, नारियल आदि शरीर को हाइड्रेटेड रखते है और गर्मी से बचाव करते हैं। इनका सेवन बढ़ाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। घर के अन्दर ठंडक बनाये रखने के लिए पंखे का उपयोग करें। यदि संभव हो तो एयरकंडीशनर का भी इस्तेमाल करें। खिड़कियां और दरवाजे खोलकर प्राकृतिक हवा का आनंद लें, लेकिन बहुत गर्मी के दौरान एयरकंडीशनर का उपयोग करना ज्यादा लाभकारी होता है। गर्मी में भारी, तला-भुना और मसालेदार भोजन करने से बचें। यह शरीर को अधिक गर्म करता है और पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जिसमें ज्यादा पानी और पोषक तत्व हो। गर्मी में सतर्क रहना न केवल शरीर की भलाई के लिए जरूरी है, बल्कि यह जीवन को भी सुरक्षित बनाता है। गर्मी के मौसम में विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। इन व्यक्तियों का शरीर तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता, और उन्हें हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए इन व्यक्तियों का अधिक ध्यान रखना चाहिए।

बुजुर्गों को अधिक पानी पीने के लिए प्रेरित करें और घर में ठंडा वातावरण बनाये रखें। उन्हें अधिक गर्मी के सम्पर्क में न आने दें। बच्चों को बहुत देर तक धूप में न खेलने दें, क्योंकि उनका शरीर गर्मी को सहन करने में उतना सक्षम नहीं होता है। उन्हें हाइड्रेटेड रखें और ठंडी जगह पर रखें। जो लोग खुले में काम करते हैं, जैसे किसान, मजदूर आदि उन्हें ठंडी जगह पर आराम करने का समय देना चाहिए। उन्हें पानी और नमी वाले आहार प्रदान करने चाहिए। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए हमेशा आपातकालीन योजना तैयार रखें। गर्मी से संबंधित समस्याओं जैसे डीहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक आदि के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का तरीका जानें। अगर किसी व्यक्ति को गर्मी के कारण तबियत खराब हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। अपने समुदाय में गर्मी के प्रकोप से बचने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलायें। यह समाज को और अधिक सुरक्षित बनायेगा और हम सभी एक स्वस्थ वातावरण में रह सकते हैं। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए हमें सतर्कता बरतने और उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। पानी का सही सेवन, हल्के कपड़े पहनना, धूप से बचना, सही आहार लेना और अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करने से हम इस मौसम को बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के पार कर सकते हैं। साथ ही, गर्मी में परिवारों और समाज की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए हमें सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। केवल सतर्कता और सही उपायों से ही हम गर्मी के प्रकोप से बच सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं।

गर्मियों में क्या खाएं और क्या न खाएं

गर्मी का मौसम अपने साथ चिलचिलाती धूप, पसीना और थकावट लेकर आता है। इस मौसम में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे थकावट, चक्कर आना और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। ऐसे में सही खान-पान न केवल सेहतमंद बनाए रखता है, बल्कि गर्मी के असर से भी बचाता है। आइए जानें, गर्मियों में क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें।

गर्मियों में क्या खाएं ?

पानी वाले फल : तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा, मौसंबी जैसे फल शरीर को ठंडक देते हैं और पानी की कमी पूरी करते हैं।

घर का बना शरबत : आम पना, बेल का शरबत, नींबू पानी, छाछ (मट्ठा) जैसे पेय शरीर को ठंडा रखते हैं और एनर्जी भी देते हैं।

दही और छाछ : पेट के लिए फायदेमंद और ठंडक देने वाले।

हल्का और सुपाच्य खाना : दलिया, खिचड़ी, मूंग दाल, हरी सब्जियां जैसी चीजें पचाने में आसान होती हैं।

नारियल पानी : प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए उत्तम।

गर्मियों में क्या न खाएं ?

तेल-मसाले वाला खाना : बहुत ज्यादा तला-भुना या मसालेदार भोजन पाचन में भारी होता है और शरीर को गर्मी देता है।

फास्ट फूड और बाहर का खाना: सड़क किनारे मिलने वाला कटा फल या खुला खाना बैक्टीरिया से भरा हो सकता है, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है।

गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स : ये शरीर को थोड़ी देर के लिए ठंडा महसूस कराते हैं, लेकिन इनमें शुगर और केमिकल्स ज्यादा होते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हैं।

गर्म प्रकृति वाले फल : अधिक मात्रा में आम, कटहल, लीची जैसी चीज़ें शरीर में गर्मी बढ़ा सकती हैं, इसलिए संतुलित मात्रा में खाएं।

कैफीन और शराब : चाय, कॉफी, शराब जैसी चीजें शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती हैं। गर्मियों में इनका सेवन कम करना बेहतर होता है।

मई की गर्मी में उत्सवों की उमंग

नीलम भागी
लेखिका, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर एवं ट्रेवलर

स्थानीय लोगों को कठोर मौसम से लड़ने में मई के पर्व उत्साह बढ़ाते हैं। धार्मिक दृष्टि से मई महीने का बहुत महत्व है क्योंकि फसल की कटाई हो चुकी है। कीमत भी जेब में आ जाती है। आमों में बौर आ गया है। कोयल की मीठी कूक सुनने को मिलती है। कुछ राज्यों में मई में आम पक जाता है। स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं। ऐसे में विविधताओं के हमारे देश में महापुरूषों के जन्मदिवसों, कहीं मौसम के कारण प्रकृति की सुन्दरता और धार्मिक शुभ दिनों के कारण मेले, उत्सव होते हैं। जिससे जीवन की एकरसता दूर होती है। उस दिन क्या पारंपरिक पकवान बनेगें? बजट के अनुसार पर्यटन की योजना बनाना और फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इससे सामाजिक समरता बढ़ती है। कृषि प्रधान देश है। चरी, बाजरा बोकर, बाजरा में ग्वार लगा दी जाती है। इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए किसान के पास भी समय होता है और गर्मी भी उत्सवों की उमंग के साथ कटती है।

1 मई से 31 मई ईगितुन चालने (आग में चलना) सिरिगाओ गोवा, यह राजधानी पणजी से 30 किमी. दूर सिरिगाओ के मंदिर में मनाया जाता है। अनुष्ठान देखने के लिए आगंतुक और स्थानीय लोगों की भीड़ मंदिर के चारों ओर लग जाती है। इसके बाद आग पर चलना होता है जो कुछ साहसी लोगों द्वारा किया जाता है। इसे देवी लैराया के भक्त करते हैं। बाकि भक्त जयकारों के साथ उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मेला गंगटोक, सिक्किम में फूलों की सुंदरता और वृक्षारोपण के ज्ञान के साथ, स्वदेशी पौधों के बारे में व्याख्यान और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। क्षेत्रिय व्यंजनों के स्वाद के साथ, याक की सवारी का आनंद उठाया जा सकता है। जिन्हें रोमांच पसंद है, उनके लिए रिवर राफ्टिंग है।

1 से 3 माओत्सु महोत्सव नागालैड में एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है।

2 मई को केरल के कलाडी क्षेत्र में जन्में महान संत दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्मदिन पूरा देश शंकाराचार्य जयंती के रूप में हर्षोल्लास से मनाता है। शंकराचार्य जयंती महान संत, प्रसिद्ध दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाडी क्षेत्र में हुआ था।

2 मई को केरल के कलाडी क्षेत्र में जन्में महान संत दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्मदिन पूरा देश शंकाराचार्य जयंती के रूप में हर्षोल्लास से मनाता है। शंकराचार्य जयंती महान संत, प्रसिद्ध दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाडी क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन के सिद्धांत पर चलकर हिंदू संस्कृति को तब बचाया, जब हिंदू संस्कृति को संजोए रखने की जरूरत थी।

उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन के सिद्धांत पर चलकर हिंदू संस्कृति को तब बचाया, जब हिंदू संस्कृति को संजोए रखने की जरूरत थी। रामानुज जयंती, रामानुजाचार्य प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय थे। इन्होंने उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों के दर्शन को मिश्रित किया और भक्ति परंपरा को एक मजबूत बौद्धिक आधार दिया। इसी दिन दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहरों में स्कन्द षष्ठी का व्रत खास महत्व रखता है। मां पार्वती और शिवजी के पुत्र कार्तिकेय की आराधना परिवार में सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रह्मण्यम जैसे कई नामों से जाना जाता है।

धार्मिक कथाओं के अनुसार 3 मई को गंगा मैया का पुर्नजन्म हुआ था। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा धार्मिक महत्व है। इसे हम गंगा जयंती के रुप में भी मनाते हैं।

बगुलामुखी जयंती 5 मई, इन्हें मां पीताम्बरा या ब्रह्मास्त्र विद्या, दस महाविद्याओं में से आठवीं महाविद्या भी कहा जाता है। देवी की पीली पोशाक और पीला श्रृंगार होता है। तांत्रिक लोग इन्हें बहुत मानते हैं। पीताम्बरा पीठ, दतिया मध्य प्रदेश में और हिमाचल बगुलामुखी मंदिर में मेला लगता है।

5 मई विश्व हंसी दिवस मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। हास्य योग के अनुसार हास्य सकारात्मक और शक्तिशाली भावना है, जिसमें व्यक्ति स्वयं उर्जावान होता है जिससे समाज को शांतिपूर्ण बनाने में मदद मिलती है।

त्रिशूर पूरम भारत के सबसे धार्मिक राज्य केरल के त्रिशूर नगर का वार्षिक उत्सव है। इस उत्सव की शुरूआत 200 साल पहले त्रिशूर के राजा ने इस मकसद से की थी कि सारे मंदिर एकजुट हो जाएं। यह केरल के हिन्दुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसमें 30 हाथी भव्य जुलूस में हिस्सा लेते हैं और 250 संगीतकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ तेज आवाज में संगीत बजाते हैं।

इस उत्सव की रौनक अलग ही होती है।

मोहिनी एकादशी 8 मई को इस व्रत को करने से पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति होती है ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धर के जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। 8 मई मासिक कार्तिगाई भगवान कार्तिकेय से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घर के द्वार पर तेल का दीपक जलाते हैं। टैगोर जयंती वैशाख के 25वें दिन गुरूदेव जन्में, विश्वविख्यात कवि, संगीतकार, गीतकार निबंधकार और दार्शनिक रविंद्र नाथ टैगोर का जन्मदिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रगान टैगोर जी की रचना की देन है।

10 से 12 मई ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन पर असाधारण, दिलचस्प कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जो जुलूस के साथ शुरू होता है। उसके बाद राजस्थान, गुजरात के लोक प्रदर्शन शुरू होते हैं।

11 मई को भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है क्योंकि उन्होंने शक्तिशाली राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ऐसे रूप में जन्म लिया।

मातृ दिवस, हिंदू धर्म में तो प्रत्येक दिन सुबह उठते ही मां को प्रणाम करने की परंपरा है। अब मई के दूसरे रविवार को बच्चे मां के लिए कुछ विशेष करते हैं। कैरियर के कारण घर से दूर रहना मजबूरी है। लेकिन अति व्यस्त रहने पर भी इस दिन को नहीं भूलते। नर्स दिवस, स्वास्थ देखभाल की रीढ़ हैं हमारी नर्सें उनकी सेवा के आभार स्वरूप, फ्लोरैंस नाइंटिंगल के जन्मदिवस पर नर्स दिवस मनाया जाता है।

12 मई वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, सारनाथ मेला भारतीय बौद्ध सर्कट का महत्वपूर्ण स्थल होने के नाते, यहां एक विस्तृत मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी यहां सागा दावा सिक्किम, दार्जीलिंग में आते हैं।

नारद जयंती 13 मई मान्यता है कि इसी

दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र देवश्री नारद मुनि का जन्म हुआ था।

13 मई चिथिराई महोत्सव, एक महीने 14 अप्रैल से 13 मई मदुरै तमिलनाडु, मदुरै के प्रसिद्ध मंदिर में भगवान सुंदरेश्वर के साथ देवी मीनाक्षी के विवाह उपलक्ष में मनाया जाता है।

ढुंगरी मेला 14 से 16 मई घटोच्कच की मां देवी हिडिम्बा के जन्मदिन के उपलक्ष में ढुंगरी मेला लगाया जाता है। देवी हिडिम्बा का सम्मान करने के लिए क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण देवता आते हैं। इस उत्सव में भाग लेने के लिए स्थानीय देवताओं की रंग बिरंगी पालकियां भी मैदान में आतीं हैं। उनका भी एक ही स्थान पर पूजन किया जाता है। लोग पारंपरिक रंग बिरंगे पोशाकों में आते हैं। इस अवसर पर स्थानीय संगीत बजता है और स्थानीय भोजन का वितरण होता है। भीम की पत्नी यह देवी आदिवासियों और यात्रियों की संरक्षक देवी है। देवी उन लोगों की रक्षा करती है जो पहाड़ी जंगलों की यात्रा करते हैं।

फायरफ्लाइज त्योहार 17 मई से 22 जून को पुरुषवाड़ी में एक जादुई आयोजन है। प्रीमानसून सीजन के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण शांत इलाकों में हजारों जुगनु एक मनमोहक प्राकृतिक शो का निर्माण करते हैं। इस दौरान पर्यटकों के लिए तारों के नीचे कैंपिंग, गांव की सैर और कहानी सुनाने के सत्र शामिल किए जाते हैं।

17 से 22 ऊटी ग्रीष्म महोत्सव नीलगिरी की ताजी हवा में प्राकृतिक सौन्दर्य के बीच, यह गर्मी के त्यौहार की तरह है। यहां फूलों की सजावट, सब्जियों की नक्काशी, फूलों की रंगोली, रोज शो, फ्रूट शो, डॉग शो, स्पाइस शो, वेजिटेबल शो, बोट शो का आनन्द उठा सकते हैं।

येरकॉड ग्रीष्मोत्सव 22 से 26 मई सलेम में अन्ना पार्क में फूलों की प्रदर्शनी, नाव दौड़, सांस्कृतिक आयोजन, डॉग शो, गांव के दौरे, साहसिक गतिविधियों के साथ पर्यटन का जश्न मनाया जाता है। यहां हर साल, त्योहार के दौरान आयोजनों की गतिविधियां बदल जाती हैं। इसलिए इस उत्सव में मौज मस्ती और जश्न की गारंटी मानी जाती है।

वट सावित्री 26 मई इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और संतान की कामना करते हुए व्रत करतीं हैं। वट यानि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर व्रत की कथा करतीं हैं और उसकी पूजा करतीं हैं।

सिख समुदाय में गुरु परंपरा के पांचवें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस 30 मई को उनकी शहादत को याद करने के लिए मनाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद हैं। इन्होंने धर्म के लिए अपनी शहादत दी। इनके शहीदी दिवस पर जगह-जगह ठंडे शर्बत की छबीलें लगाई जाती हैं। गुरु जी ने सिखों को अपनी कमाई का दसवां हिस्सा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया।

फसल उत्सव, प्रेरणास्रोत महापुरुषों का जन्मदिन और पर्यावरण संरक्षण और मेलों को विशेष दिनों में मनाना हमारे जीवन को भीषण गर्मी में भी खुशहाल बनाता है। ■

हकीकत बनती अंतरिक्ष घुमक्कड़ी

डॉ. मनमोहन सिंह शिशोदिया
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा

राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत 'अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा' में घुमक्कड़ी को व्यक्ति और समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यही घुमक्कड़ी अब झील, झरना, गुफा, घाटी, नदी, समुन्द्र और पहाड़ तक सीमित न होकर अंतरिक्ष तक विस्तारित हो चुकी है। अंतरिक्ष घुमक्कड़ी पृथ्वी से लगभग 100 किमी की ऊंचाई पर, पृथ्वी के वायुमंडल को बाह्य अंतरिक्ष से अलग करने वाली हंगरी-अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर वॉन कार्मन के नाम से जाने वाली कार्मन रेखा को पार करने के बाद शुरू होती है। वस्तुतः अंतरिक्ष एक ऐसा खजाना है जिसमें मानवता के लिए असंख्य बेशकीमती उपहार तो हैं, किन्तु उसे खोलने के लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता की आवश्यकता होती है। भारत ने सफल चंद्रयान-3, मंगलयान और आदित्य-एल 1 अभियानों के साथ ही एक रॉकेट से 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर अपनी अंतरिक्ष क्षमता का दुनिया में लोहा मनवाया है। आज कृषि, सुरक्षा, दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान तथा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अंतरिक्ष अन्वेषण अपरिहार्य बनते जा रहे हैं। निःसंदेह, अंतरिक्ष आधारित बाजार में भारत के विकास की अपार संभावनाएं निहित हैं।

अंतरिक्ष यात्रा में उपकक्षीय, कक्षीय एवं चंद्र यात्रा शामिल हैं। उपकक्षीय अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष तक पहुंचता है लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहता है, कक्षीय अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में जाता है और चंद्र यात्रा में अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक जाता है। इस क्षेत्र में निजी कंपनियों जैसे वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेसएक्स, बोइंग, स्पेस एडवेंचर्स आदि के कूदने से अंतरिक्ष पर्यटन का बाजार दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत साल 2001 में अमेरिकी व्यापारी एवं अभियंता डेनिस टीटो के रूसी अंतरिक्ष यान (सोयूज T-32) से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा से हुई। मई 2024 में अमेरिका में रहने वाले भारतीय पायलट गोपी थोटाकुरा पांच अन्य अंतरिक्ष पर्यटकों के साथ जैफ बैजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के एनएस-25 मिशन का हिस्सा बन पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने। अंतरिक्ष पर्यटन में संभावनाओं का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2023 में इसका बाजार जहां ₹7193.3 करोड़ था, वर्ष 2032 तक इसके ₹2.36 लाख करोड़ पहुँचने का अनुमान है। अपार संभावनाओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने भी अंतरिक्ष का बजट 2013–14 में ₹5615 करोड़ से बढ़ाकर 2025–26 में ₹13416 करोड़ कर दिया है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एवं भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) भी गगनयान मिशन के माध्यम से आदमी को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पहले चरण में मानव रहित यान, दूसरे चरण में व्योमित्र नामक रोबोट, तथा तीसरे और अंतिम चरण में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। गगनयान मिशन के बाद भारत में भी वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष पर्यटन के द्वार खुलने की संभावना है ।

देश की अंतरिक्ष क्षमता उसकी राष्ट्रीय शक्ति का द्योतक है, जो राष्ट्रीय हित साधने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीतयुद्ध मुख्यतः अंतरिक्ष के मोर्चे पर ही लड़ा गया जिसमें अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए दोनों देशों में कई दशकों तक गलाकाट प्रतिस्पर्धा रही। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत पायलट यूरी गगारिन के दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने के जवाब में 25 मई 1961 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी ने अमेरिकी संसद में चांद पर पहला आदमी भेजने की घोषणा करते हुए कहा, 'आदमी को चांद पर उतारने वाला अमेरिका पहला देश होगा, सच्चे अर्थों में यह केवल एक आदमी का चांद पर जाना न होकर पूरे देश का चांद पर जाने जैसा होगा'। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए अंतरिक्ष आधारित संसाधनों का उपयोग आवश्यक होगा। निःसंदेह 1955 की फिल्म 'वचन' के गीत "चंदा मामा दूर के...उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा, तारों के संग आंख-मिचोली खेल के दिल बहलाएगा, खेल-कूद से जब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा, ठुमक ठुमक मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा", में व्यक्त कल्पना के यथार्थ रूप लेने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हैं। (संदर्भ स्रोतों के प्रति आभार एवं कृतज्ञता) ■

श्रीमद्भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल

भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को एक बार फिर वैश्विक मंच पर मान्यता मिली है। श्रीमद्भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र अब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल कर लिए गए हैं। यह भारत के शाश्वत ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्सव है।

एक ऐतिहासिक क्षण : इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता जताते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा- 'दुनिया भर में हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण है! गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाना हमारे ज्ञान और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। इन ग्रंथों ने सदियों से सभ्यता और चेतना को पोषित किया है। उनकी अंतर्दृष्टि आज भी दुनिया को प्रेरित करती है।'

सभ्यतागत धरोहर को मिली वैश्विक मान्यता : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस अवसर को भारत की 'सभ्यतागत विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण' बताया। उन्होंने जानकारी दी कि गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किए जाने के साथ ही अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की कुल 14 अभिलेखीय धरोहरें दर्ज हो चुकी हैं।

साहित्य से परे, जीवन का दर्शन : श्रीमद्भगवद गीता न केवल हिन्दू धर्म का आधार ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन दर्शन, नैतिकता और कर्मयोग का अनुपम मार्गदर्शन देती है। वहीं, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र विश्व का सबसे प्राचीन रंगमंचीय ग्रंथ माना जाता है, जो भारतीय नाट्यकला, संगीत, नृत्य और अभिनय के गहन सिद्धांत प्रस्तुत करता है।

यूनेस्को ने इन दोनों ग्रंथों को 'सिर्फ साहित्यिक खजाना नहीं, बल्कि भारत के दार्शनिक और सौंदर्यवादी दृष्टिकोण का आधार' बताया है।

यूनेस्को का 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' क्या है? : 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व की दस्तावेजी विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना है, जिससे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व की सामग्री को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके।

यूनेस्को की वेबसाइट पर बताया गया है : दुनिया की दस्तावेजी विरासत सभी की है, और इसे बिना किसी बाधा के सभी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए।

इस कार्यक्रम की देखरेख एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समिति (IAC) करती है, जिसमें 14 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा की जाती है।

570 वैश्विक अभिलेख, 74 नई प्रविष्टियाँ : 2025 में की गई घोषणा के अनुसार, इस बार यूनेस्को के इस रजिस्टर में 74 नई प्रविष्टियाँ की गई हैं, जिससे इसकी कुल संख्या बढ़कर 570 हो गई है। इसमें भारत की 14 धरोहरें अब सम्मिलित हो चुकी हैं, जो देश की समृद्ध और बहुआयामी संस्कृति का परिचायक हैं। श्रीमद्भगवद गीता और नाट्यशास्त्र का यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त करना न केवल भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर भारतीय चिंतन, कला और दर्शन को दिए गए सम्मान का प्रमाण भी है। यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। ■

प्रफुल्ल चंद्र चाकी

प्रफुल्ल चंद्र चाकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक साहसी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। उनका जन्म 10 दिसंबर 1888 को बंगाल के बोगरा जिले (अब बांग्लादेश) में हुआ था। वे युगांतर संगठन से जुड़े और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। 1908 में खुदीराम बोस के साथ मिलकर उन्होंने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। बम हमले में गलती से दो अंग्रेज महिलाएं मारी गईं। घटना के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। 1 मई 1908 को मोका घाट स्टेशन पर गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। उनके बलिदान ने भारतीय युवाओं में स्वतंत्रता के प्रति जुनून भर दिया। वे आज भी भारतीय क्रांति के अमर नायक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। प्रफुल्ल चाकी का जीवन हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए समर्पण किसी भी उम्र में संभव है।

अतुलकृष्ण घोष

क्रांतिकारी अतुलकृष्ण घोष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख योद्धा थे। उनका जन्म 1890 में बंगाल के नदिया जिले के जादुबोयरा गांव (अब बांग्लादेश में) हुआ था। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। वे बाघा जतिन के घनिष्ठ सहयोगी थे और पथुरियाघाटा व्यायाम समिति के माध्यम से क्रांतिकारियों को संगठित किया। उन्होंने युगांतर और अनुशीलन समिति जैसी गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई योजनाएं बनाईं।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अतुलकृष्ण ने हिंदू-जर्मन षड्यंत्र में भाग लिया और रॉड्डा कंपनी से हथियारों की एक बड़ी खेप चोरी करवाई - जिसे रॉड्डा कांड कहा गया।

बाद में बाघा जतिन की मृत्यु और अंग्रेजों की सख्ती के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। उन्हें एक बार राज्य कैदी भी बनाया गया। 4 मई 1966 को कोलकाता में उनका निधन हुआ। वे भारतीय क्रांतिकारी इतिहास के एक साहसी और संगठनात्मक दृष्टि से अद्‌भुत योद्धा माने जाते हैं।

नाइक राघोजीराव रामजीराव भांगरे

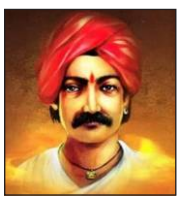

नाइक राघोजीराव रामजीराव भांगरे (8 नवंबर 1805 - 2 मई 1848) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख आदिवासी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। उनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले तालुका के देवगांव में हुआ था। वे महादेव कोली समुदाय से संबंधित थे और उनके पिता रामजीराव भांगरे भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्षरत थे।

राघोजी भांगरे ने 1838 में रतनगढ़ और संग्रामगढ़ किलों के आसपास ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। उन्होंने आदिवासी समुदायों को संगठित कर ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश प्रशासन में खलबली मच गई।1847 में उन्हें पंढरपुर में लेफ्टिनेंट गैल द्वारा गिरफ्तार किया गया और 2 मई 1848 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय की भागीदारी को एक नया आयाम दिया। राघोजी भांगरे का जीवन और बलिदान आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं, जो हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और समर्पण की भावना सिखाते हैं।

सुशील कुमार सेन

सुशील कुमार सेन (1892 - 3 मई 1915) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक साहसी क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म तत्कालीन ब्रिटिश भारत के सिलहट (अब बांग्लादेश) में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी परिवार से थे और प्रारंभिक शिक्षा श्रीहट्टा और शिलांग में प्राप्त की। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय कहलेज, कलकत्ता में अध्ययन किया, जहाँ अरविंद घोष उनके प्रधानाचार्य थे।

1909 में, सुशील सेन को प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया और सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। हालांकि, उन्होंने 21 महीने जेल में बिताए। रिहाई के बाद, वे फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए और 1915 में ब्रिटिश समर्थक इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र मुखर्जी की हत्या में शामिल हुए।

30 अप्रैल 1915 को, उन्होंने नदिया जिले के प्रागपुर गांव में एक डकैती में भाग लिया, जिसके दौरान उन्हें गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने पर, उन्होंने अपने साथियों से अनुरोध किया कि वे उन्हें गोली मार दें और पहचान से बचने के लिए उनके शरीर को अलग-अलग स्थानों पर दफनाएं। उनकी यह रणनीति सफल रही, और पुलिस फरवरी 1916 तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई।

सुशील कुमार सेन का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन की प्रेरणास्पद गाथा है, जो आज भी युवाओं को देशभक्ति और साहस की भावना से प्रेरित करता है। ■

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया

हमले के बाद भारत सरकार ने तुरंत ही कठोर कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-

♦ **सिंधु जल समझौता निलंबित :** भारत ने 1960 की इंडस वॉटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली से मिलने वाले पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई।

♦ **वाणिज्यिक और राजनयिक संबंधों में कटौती :** दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों की संख्या घटाकर 30 कर दी और एक-दूसरे के सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया।

♦ **अटारी सीमा चौकी का बंद होना :** भारत ने पाकिस्तान के साथ अटारी सीमा चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और यातायात पर असर पड़ा।

♦ **पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्दीकरण :** भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के सभी वीजा रद्द कर दिए और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया।

♦ **सैन्य प्रतिक्रिया की तैयारी :** भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर उच्चतम स्तर की तैयारियों में रखा गया और आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

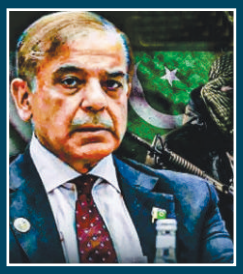

पाकिस्तान ने भी भारत के इन कदमों का विरोध करते हुए कई प्रतिवादात्मक उपाय किए-

♦ **सिंधु जल समझौता के निलंबन का विरोध:** पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को 'जल युद्ध' करार दिया और चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार के जल संसाधनों में हस्तक्षेप को युद्ध के रूप में लिया जाएगा।

♦ **भारतीय नागरिकों का वीजा रद्दीकरण :** पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों के सभी वीजा रद्द कर दिए और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया।

♦ **वाणिज्यिक और हवाई संपर्क का निलंबन :** पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया और भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया।

♦ **सैन्य प्रतिक्रिया की धमकी :** पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि वे भारत के किसी भी कदम का जवाब उसी स्तर पर देंगे, जिससे क्षेत्रीय स्थिति और जटिल हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

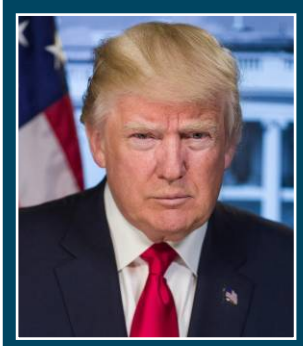

इस हमले और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी चिंता व्यक्त की है-

♦ **संयुक्त राष्ट्र :** संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है।

♦ **संयुक्त राज्य अमेरिका :** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की।

♦ **चीन :** चीन ने भी हमले की निंदा की और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

RNI No. : UPHIN/2023/84344 Postal Reg No. : DL (DS)-61/MP/2023-24-25

विभिन्न मंचों से प्रेरणा विचार पत्रिका का विमोचन